



सत्यमेव जयते

शुचि दर्पण



भ्रष्टाचार का विरोध करें - राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें



नवम्बर 2023

November 2023

पूर्वोत्तर रेलवे

सतर्कता बुलेटिन
VIGILANCE BULLETIN

अंक - 33

Issue - 33

N.E. Railway



सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- ♦ जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा ;
- ♦ ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा ;
- ♦ सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा ;
- ♦ जनहित में कार्य करूँगा ;
- ♦ अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा ;
- ♦ भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा।





पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

सतर्कता बुलेटिन
VIGILANCE BULLETIN - 2023

सतर्कता जागरूकता सप्ताह
VIGILANCE AWARENESS WEEK

30st October - 5th November 2023

blank



केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023
सं./No. 023/VGL/035
दिनांक/Dated 25.10.2023

Message

Vigilance Awareness Week (30th October to 5th November, 2023)

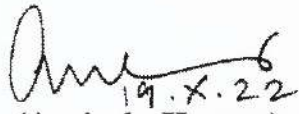
Central Vigilance Commission is observing Vigilance Awareness Week. 2023 from the 30th October to the 5th November, 2023. Every year, Vigilance Awareness Week is observed as an outreach measure to create greater awareness about the importance of integrity and ethics in public life. The theme for this year is:

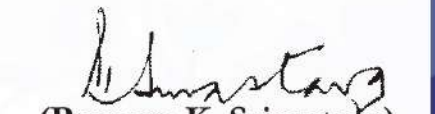
"Say no to corruption; commit to the Nation"
“भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें”

As a prelude to Vigilance Awareness Week 2023, the Commission has sought the participation of all Central Government authorities/organisations to undertake a three month campaign (16th August to 15th November) on preventive vigilance activities as focus areas. As a means of eliciting public participation while also disseminating information on vigilance matters, the Commission has launched a quiz on vigilance matters.

The Commission is also issuing three publications : (i) Best Practices in Vigilance Administration, (ii) Increasing transparency through the use of technology, and (iii) Public Procurement: Challenges and Way Forward. The idea behind these is to disseminate information regarding effective and innovative initiatives undertaken by different organizations to serve as a point of reference and a way forward.

The Commission solicits the participation of all the citizens to come together in bringing about transparency and accountability in public administration.


(Arvinda Kumar)
Vigilance Commissioner


(Praveen K. Srivastava)
Central Vigilance Commissioner



भारत सरकार
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
RAIL BHAWAN NEW DELHI-110 001

Shobhana Bandopadhyaya
Principal Executive
Director (Vigilance)
&
Chief Vigilance Officer



Message

Vigilance Awareness Week is celebrated every year to highlight the importance of morality and uprightness in public life. This year, Vigilance Awareness Week is being celebrated from 30th October to 05th November 2023. The theme chosen by Central Vigilance Commission this year i.e. **"Say no to corruption; commit to the Nation"** "भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" appears to be true as corruption being a public evil is proving harmful to the health of the economic and technological richness of the nation.

I would also like to mention here that CVC has also emphasized and directed for taking certain preventive vigilance activities as a focus area and asked to initiate 03 month's campaign starting from 16th August 2023 to 15 November, 2023. Accordingly all the units must be doing needful to achieve the systematic objectives. I am of firm belief that besides taking various preventive measures along with creating awareness among Railway employees and citizens, it is possible to eliminate/reduce corruption in the organization.

I also feel that Indian Railways has a strong prospective of getting rid of corruption if everyone works in unanimity, pledges not to take or give bribe and also initiate some stern measures for tooth and nail eradication of this menace. I therefore extend my greeting to all those associated in this movement and convey my wishes for a successful Vigilance Awareness Week.

(Shobhana Bandopadhyaya)

चंद्र वीर रमण
महाप्रबन्धक
CHANDRA VIR RAMAN
General Manager



सत्यमेव जयते

पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर - 273012
North Eastern Railway
Gorakhpur - 273012
Ph.: 0551-2208000, 62100 (Rly) Fax: 2208108
Email : gm@ner.railnet.gov.in

संदेश

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देने के लिए प्रत्येक वर्ष “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” मनाया जाता है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि इस वर्ष वह सप्ताह दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवम्बर 2023 तक मनाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा इस अवसर पर “शुचि दर्पण” नामक सतर्कता बुलेटिन का प्रकाशन किया जा रहा है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस वर्ष के लिए चुना गया विषय है – “भ्रष्टाचार का विरोध करें : राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें”। भ्रष्टाचार संस्थानों में विश्वास को कमजोर करता है और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। भ्रष्टाचार को अस्वीकारना और राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध होना किसी भी समाज के उत्थान के लिए अति महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक हित में प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण का संकल्प (पीआईडीपीआई)/व्हिसल ब्लोअर नीति पर जोर और इसका व्यापक प्रचार रेलकर्मियों/ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा का पालन करेंगे तथा प्रतिदिन उपयोग में आने वाले नियमों एवं कार्य प्रणाली में सुधार लाने और विशेषाधिकार को कम करने के लिए आवश्यक सुधार भी करेंगे।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह संस्करण अपने प्रकाशित रचनाओं एवं लेखों के माध्यम से अधिक से अधिक रेल अधिकारी एवं कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा।

मैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2023 के सफलता की कामना करता हूँ।

(चंद्र वीर रमण)

नीलमणि
वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक
NILMANI
Sr. Dy. GENERAL MANAGER



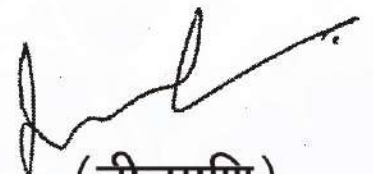
पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर-273012
NORTH EASTERN RAILWAY
GORAKHPUR-273012

संदेश

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर रेलवे में “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” मनाया जा रहा है। इस वर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2023 तक इसका आयोजन होना है, जिसका विषय-वस्तु “भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें” है।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतर्कता संगठन एवं अन्य विभागों को स्वस्थ कार्यप्रणाली अपनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा और ऐसी संस्कृति तैयार करनी होगी जिससे कार्यालयी कार्यों में भ्रष्टाचार को पनपने से रोका जा सके। भ्रष्टाचार से लड़ाई में हमें अधिकाधिक **Stakeholders** की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है। सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति “जीरो टालरेंस” की नीति की सफलता, भ्रष्टाचार के मामलों में उदाहरणात्मक एवं त्वरित कार्यवाही पर निर्भर करती है। यह सभी अनुशासनात्मक प्राधिकारी की जिम्मेदारी बनती है।

“सतर्कता जागरूकता सप्ताह” के अवसर पर सतर्कता विभाग “शुचि दर्पण” नामक सतर्कता बुलेटिन जारी करने जा रहा है। इस बुलेटिन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के अध्ययन को प्रतिबिम्बित किया गया है जिनमें भ्रष्टाचार सम्बन्धी कृत्यों को सामने लाने के साथ-साथ रेलवे द्वारा हाल में जारी किये गये पद्धति सुधार शामिल है। मुझे विश्वास है कि रेलकर्मी इससे लाभान्वित होंगे तथा वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक दक्षता एवं सतर्कता से कर सकेंगे। इस दिशा में हमारी प्रणाली में और सुधार हेतु आपके सुझाव सदैव अपेक्षित हैं। इन्हें अधोहस्ताक्षरी को निःसंकोच भेजा जा सकता है।



(नीलमणि)

झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2022



सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा
दिलाते मुख्य सुरक्षा
आयुक्त/रे.सु.बल

“वाँकाथन” के लिए
हरी झंडी दिखाते
प्रमुख मुख्य सिगनल एवं
दूर संचार इंजीनियर



पूरे बालिका
विद्यालय में
विजयी प्रतिभागी

झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2022



सीनियर सेकन्ड्री
स्कूल में वाक्
प्रतियोगिता

क्विज प्रतियोगिता
में विजयी
प्रतिभागी



पू.उ.रे. बालिका
विद्यालय में
विजयी प्रतिभागी

झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2022



सतर्कता सेमिनार में दीप
प्रज्जवलन करते हुए
मुख्य अतिथि (कुलपति
एम.एम.यू.टी, गोरखपुर)
वक्ता एवं विभागाध्यक्ष

“शुचि दर्पण” का
विमोचन करते मुख्य
अतिथि वक्ता एवं
विभागाध्यक्ष



सतर्कता सेमिनार में
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
महोदय का सम्बोधन

झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2022



सतर्कता सेमिनार में
मुख्य अतिथि
(कुलपति एम.एम.यू.टी.
गोरखपुर) का
सम्बोधन

प्राथमिक विद्यालय
बिलन्दपुर में
ड्राइंग प्रतियोगिता
में विजयी प्रतिभागी



रेलवे स्टेशन
गोरखपुर में
नुक्कड़ नाटक

सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संकल्प, 2004 (PIDPI)



PIDPI क्या है?

- PIDPI भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

PIDPI शिकायत कैसे करनी है?

- शिकायत सचिव, सीवीसी को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "PIDPI" अंकित होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि लिफाफे के अंदर बंद पत्र में अंकित होना चाहिए।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने हेतु दिशानिर्देश।

- ऐसी शिकायतें जो शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित है या अन्य अधिकारियों को संबोधित है, पहचान का खुलासा कर सकती है।
- शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए।
- शिकायत में पहचान उजागर करने वाले दस्तावेज संलग्न या उल्लिखित नहीं किए जाने चाहिए जैसे- आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज।
- पुष्टि के लिए लिफाफे के अंदर बंद पत्र पर नाम और पता का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती, उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- गुमनाम/द्वन्द्वनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए [http:// www.cvc.gov.in](http://www.cvc.gov.in) पर जाएं।

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)



WHAT IS PIDPI?

- PIDPI is a resolution of Government of India
- Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it

HOW IS PIDPI COMPLAINT FILED?

- The Complaint should be addressed to Secretary, CVC and the envelope should be superscribed as "PIDPI"
- Name and Address of the complainant should NOT be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closed cover

GUIDELINES TO ENSURE IDENTITY OF COMPLAINANT REMAINS CONFIDENTIAL

- Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity.
- Complaints should not be sent in open condition or on public portal
- Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint. Eg: documents received under RTI
- Name and Address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposes.
- Complaints where confirmation is not received are closed.
- Anonymous/pseudonymous letters are not entertained

VIGILANCE AWARENESS WEEK 2023

For more details visit
<https://www.cvc.gov.in>

विषय सूची

क्रमांक	विषय	लेखक	पृष्ठ सं०
लेख :			
1	Constructive role of Vigilance	नीलमणि	1-2
2	कंक्रीट संरचनाओं का उपचार	भारत भूषण	3-5
3	भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें— SAY NO TO CORRUPTION ; COMMIT TO NATION	ए.पी. पाण्डेय	6-7
4	PREVENTIVE VIGILANCE IN S&T DEPARTMENT	वैभव श्रीवास्तव	8-11
5	Safeguarding Transparency and Accountability : Lodging PIDPI Complaints with the CVC	सागर	12-14
6	Outsourcing : A way out?	शिवेन्द्र सिंह	15-16
7	रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम-1968	जय प्रकाश	17-19
8	अभिशाप है भ्रष्टाचार	सत्य देव पाठक	20-21
9	Preventing Corruption in Indian Railways: Strategies for a Transparent and Efficient System	मुकेश कुमार सिंह	22-23
10	आने वाले भारत का हम आओ करें गुणगान	राम मोहन सिंह	24-25
11	विभागीय जाँच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भूमिका	संत कुमार	26-28
12	भ्रष्टाचार : आध्यात्मिक दृष्टिकोण	सूर्य प्रताप सिंह	29-30
13	भ्रष्टाचार की व्यवहारिक समझ	पवन कुमार श्रीवास्तव	31
14	भ्रष्टाचार का समाज पर प्रभाव	शिव कान्त कौशिक	32
केस स्टडी :			
1	RPF स्टाफ द्वारा रेलवे हॉस्पिटल में सिक अवधि के दौरान लिए जा रहे अलाउंस को संज्ञान में लेकर की जा रही सतर्कता निवारक जाँच	पंकज कुमार श्रीवास्तव	33
2	Referral of Patient from a Divisional Railway Hospital to Empanelled Hospital	पंकज कुमार श्रीवास्तव	34
3	पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के एक मंडल में कूटरचित बोनाफाइड प्रमाण— पत्रा प्रस्तुत करके छात्रावास अनुदान प्राप्त करना	एस.के. भारती	35
4	परिवहन भत्ता के मद में अनियमित भुगतान	एस.के. भारती	36
5	क्रयादेश से भिन्न सामग्री प्राप्त होने के सम्बन्ध में	राकेश कुमार सिंह	37
6	प्रतिष्ठान द्वारा गलत टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में	राकेश कुमार सिंह	38
7	रेल अधिनियम /RP(UP ACT)	श्रवण कुमार यादव	38
8	यात्री टिकट सुविधा केंद्र के एजेंट द्वारा कारित की जा रहीं गंभीर अनियमितताएं	अनादि प्रताप सिंह	39
9	इंजन हायर चार्ज की गणना में अनियमितता	जैनेन्द्र कुमार भट्ट	40

10	यांत्रिक कारखाना से बाहर भेजे जाने वाले सामग्री के सम्बन्ध में पायी गयी अनियमितता की जाँच	श्रवण कुमार यादव	41
11	एक फर्म द्वारा अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग किया जाना	राकेश कुमार श्रीवास्तव	41
12	सामग्री लेजर का न बनाया जाना	राकेश कुमार श्रीवास्तव	42
13	फेक चिकित्सा रियायत फार्मों के रोकथाम के संबंध में	ओम प्रकाश सिंह	43-44
14	आरक्षण लिपिक द्वारा कारित अनियमितता	गिरिजेश प्रताप सिंह	45
15	एक अनुबंध के अंतर्गत वास्तविक कार्य से अधिक का भुगतान किया जाना	अतुल कुमार श्रीवास्तव	46
16	USSOR 2012 मद में एमएस जाली के निर्धारित वजन से कम वजन की प्रयोग करके एजेंसी को लाभ पहुंचाया गया	अतुल कुमार श्रीवास्तव	47
17	आरसीसी बाउण्ड्रीवाल की जांच में प्राप्त अनियमिततायें	अरुण कुमार श्रीवास्तव	48
18	BASE ASSEMBLY को क्रय तथा स्क्रेप करने से सम्बंधित सतर्कता जाँच	विनोद चंद्र यादव	49
19	Irregularities regarding imposing of GD (General Damage)	एस.एन. सिंह	49
20	विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में प्राप्त अनियमितता के संबंध में	आलोक कुमार त्रिपाठी	50
21	सिगनल स्टोर में प्राप्त अनियमितता के संबंध में	आलोक कुमार त्रिपाठी	51
22	यांत्रिक कारखाना में करारनामा के तहत कराये जा रहे कार्य"Refurbishment of ICF coaches" के गुणवत्ता मॉनिटरिंगमें पायी गयी अनियमितताएं	डी.सी. यादव	52
23	करारनामा के तहत कराये जा रहे De-wheeling/ stripping कार्य में पायी गयी अनियमितताएं	अभय कुमार सिंह	53
24	ट्रेनों में यात्रियों दिए जाने वाले कम्बल की गुणवत्ता जांच में पायी गयी अनियमितताएं	अभय कुमार सिंह	54

★★★★★★



लेख

ARTICLES

CONSTRUCTIVE ROLE OF VIGILANCE

Nilmani

Sr. Dy. General Manager

A healthy environment in an organization from Vigilance perspective needs no emphasis. It is no different for the Indian Railways. Our Organization is probably unique, being a government department working in competitive as well as monopolistic business segments. For example, in most of the freight segment there is competition with road, whereas there is a monopoly in long distance Sleeper/General class passengers segment. In the competitive segment, corruption directly affects our performance by increasing cost of delivery and customer alienation. In the monopolistic sector, although earnings may not get adversely affected by corruption, it seriously undermines commitment of the Government of providing an affordable and comfortable transport, particularly to the poor. With this perspective, constant emphasis has been given by the Indian Railways on maintaining a healthy Vigilance environment in the organization.

Creation of a good Vigilance environment involves rooting out corruption, bringing integrity in decision making and instilling of confidence among the employees for taking bonafide decisions without any fear. A system approach is of vital importance for achieving these objectives, particularly in a big government organization like the Indian Railways. This requires availability of well laid down systems and procedures, along with a dynamic mechanism for necessary modification therein in response to changes in business practice. Systems also need to be in place for oversight on enforcement.

Indian Railways have got well laid down system and procedure and institutional structure, which have developed over its long history. However, this legacy and the large size of the organization pose challenges, given the present day dynamic business environment. Multiplicity of products has been increasing, in passenger as well as freight segment. New revenue streams have been added, which include commercial exploitation of land, stations, rolling stock as well as the soft assets such as websites, audio/video displays etc. These varied streams and ever multiplying revenue are to be managed by an optimum organizational strength, making use of technology. These have led to large scale process changes.

Situation has been equally challenging in the areas of execution of works and maintenance of assets. Requirement of large volume and fast pace of execution, enabled by new technology have necessitated large scale changes in the process of procurement. Higher level of technical sophistication of assets has also necessitated major changes in the maintenance system, which has become far more vendor dependent.

Vigilance administration on the Indian Railways has been abreast with the above scenario. Preventive Vigilance has been the focus area. System Improvement resulting out of Vigilance checks is the prime objective of the Vigilance Organization. Status of Implementation of leveraging of technology, which brings transparency as well as efficiency,

has been kept under regular monitoring. A total of 44 number of System Improvements have been issued on NER over the last three years. These cover varied areas of dealing with Works Contracts, ensuring quality in execution of Works, issue of high value S&T items from Stores, management of TRD Works Contracts, GEM purchase, Initial Medical Examination, Quality monitoring of re-furbished coaches, cleanliness of linen etc.

Going ahead, keeping focus on System Improvement, both on implementation in already identified areas as well as identifying the new areas requiring System Improvement and implementing the same therein, would be essential for achieving a healthy Vigilance environment. Vigilance as well Executive Departments need to work in unison towards this organizational objective.



Reality is, after all, too big for our frail understanding to fully comprehend-
Nevertheless, we have to build our life on the theory which contains the maximum truth
We cannot sit still because we cannot, or do not, know the Absolute Truth.
- Subhash Chandra Bose

कंक्रीट संरचनाओं का उपचार

भारत भूषण,

—उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

कंक्रीट सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली बहुमुखी निर्माण सामग्री है एवं कंक्रीट का प्रयोग विगत 100 वर्षों से रेलवे संरचनाओं (रेलवे ब्रिज, स्टेशन बिल्डिंग, कार्यालय/प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन, आदि) के निर्माण कार्य में हुआ है। इन कंक्रीट संरचनाओं में आयु के साथ कंक्रीट और स्टील का क्षरण होना सामान्य प्रक्रिया है। अतः इन कंक्रीट संरचनाओं को लम्बे समय तक उपयोगी रखने हेतु इनमें आवधिक अनुरक्षण कार्यों को कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं इसके साथ ही अगर उन्हें विशेष मरम्मत की जरूरत है तो वह मरम्मत भी बहुत लंबे समय तक चलनी चाहिए अर्थात् टिकाऊ मरम्मत की जानी चाहिए। किसी कंक्रीट संरचना में संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता निम्नलिखित में किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकती है: (i) संरचना का दोषपूर्ण डिजाइन और डिटेल्डिंग के साथ-साथ लोडिंग क्राइटेरिया के गलत अनुमान से उत्पन्न संरचनात्मक कमी, (ii) दोषपूर्ण निर्माण कार्य, घटिया और गुणवत्ताविहीन सामग्रियों का प्रयोग और गुणवत्ता नियंत्रण/पर्यवेक्षण में लापरवाही के कारण हुई संरचनात्मक कमी, (iii) आग, बाढ़, भूकंप आदि से होने वाली क्षति के कारण, (iv) तीव्र मौसम, पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, समुद्री और औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र रासायनिक वातावरण के कारण में संरचना में हुई रासायनिक गिरावट, (v) फाउंडेशन सेटलमेंट के कारण, (vi) अधिक आयु संरचनाओं में घर्षण, टूट-फूट, इम्पैक्ट, नमी के कारण हुई क्षति।

कंक्रीट में विफलता के मूल कारणों का विश्लेषण : टिकाऊ मरम्मत तकनीक सिस्टम को डिजाइन करने के लिए उन सभी कारणों, जो कंक्रीट विफलता के कारक हैं, को जानना एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। मूल कारणों के दोषपूर्ण विश्लेषण से मरम्मत सामग्री और तकनीकों का अनुचित चयन हो सकता है जिससे मरम्मत किए गए एरिया की विफलता फिर से हो सकती है। कारण, प्रकृति और क्षति की सीमा तथा संरचना में होने वाली कमी या गिरावट की पूर्ण रूप से जानकारी होने पर एक सही तकनीक को अपनाया जा सकता है। अतः मरम्मत सामग्री का चयन से पूर्व सभी प्राथमिक एवं द्वितीयक कारणों का पता लगाते हुए इन कारणों से संरचना पर होने वाले सभी प्रभावों को जानना चाहिए।

मरम्मत सामग्री का चयन: उचित मरम्मत सामग्री का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है परन्तु यह जटिल कार्य भी है क्योंकि मरम्मत सामग्रियों के सफल प्रदर्शन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं: 1. उनकी सब्सट्रेट के सापेक्ष आयामी व्यवहार का होना क्योंकि सापेक्ष आयामी परिवर्तन मरम्मत सामग्री और सब्सट्रेट के भीतर आंतरिक तनाव उत्पन्न करता है। उच्च आंतरिक तनाव के परिणामस्वरूप तनाव दरारें, भार वहन क्षमता की हानि, सतह का टूटना या क्षरण हो सकता है, 2. मरम्मत सामग्री और सब्सट्रेट के मध्य बनने वाले बांड की स्ट्रेंथ उस सतह पर पड़ने वाले लोड से कम नहीं होनी चाहिए एवं 3. संरचनात्मक (भार वहन करने वाले) अनुप्रयोगों के लिए मरम्मत सामग्री से यह अपेक्षित होगा कि वह उन सभी स्ट्रेस को वहन करें जोकि मूल संरचना द्वारा वहन किया जा रहा था। मरम्मत सामग्री की चयन प्रक्रिया किये जाते समय यह जानना आवश्यक है कि किन कारणों से संरचना में मरम्मत की आवश्यकता हुई है, उस संरचना की वातावरण एक्सपोजर की दशा क्या है, मरम्मत सामग्री का क्युरिंग और नॉन क्युरिंग अवस्था में भौतिक व्यवहार किस प्रकार का है एवं मरम्मत कार्य हेतु किन तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है? किसी संरचना में मरम्मत की आवश्यकताओं, वातावरण एक्सपोजर की दशा एवं मरम्मत सामग्री में वांछित गुणों के आधार पर उपयुक्त मरम्मत सामग्रियों का चयन किया जा सकता है। कई केस में, एक से अधिक सामग्री या प्रणाली सामग्री वांछित आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगी एवं मरम्मत सामग्री का अंतिम चयन उनके मूल्य, उनकी परफॉर्मेंस और रिस्क के बीच संबंधों के आधार पर किया जाना चाहिए।

मरम्मत सामग्री के घटक: मरम्मत सामग्री बाइंडर्स, एग्रीगेट्स, फिलर्स और संशोधकों का मिश्रण है एवं मरम्मत सामग्री के साथ आवश्यकतानुसार प्लास्टिक या स्टील फाइबर सुदृढीकरण का प्रयोग किया जाता है। मरम्मत सामग्री का डिजाइन सरल रखा जाना चाहिए और आवश्यकता से अधिक सामग्री का प्रयोग न करें, अधिक जटिल सामग्री आम तौर पर अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। **बाइंडर** एक रासायनिक पदार्थ (गोंद) है जो एक समग्र सामग्री बनाने के लिए सभी फिलर्स एवं एग्रीगेट को एक साथ बांधता है। बाइंडर सामग्री में पोर्टलैंड सीमेंट, अन्य हाइड्रोलिक सीमेंट, एपॉक्सी, ऐक्रेलिक, आदि का प्रयोग किया जाता है। सामान्य मरम्मत कार्य में पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है एवं पॉलिमर जैसे एपॉक्सी और ऐक्रेलिक का प्रयोग विशेष मरम्मत कार्य जैसे प्रतिरोध अनुप्रयोग की आवश्यकता वाले रसायन, या बहुत पतले सेक्शन के अनुप्रयोग आदि हेतु किया जाता है। **एग्रीगेट्स** का प्रयोग मरम्मत सामग्री में बाइंडर की मात्रा एवं सिकुड़न को कम करने और यांत्रिक गुणों जैसे घर्षण प्रतिरोध सुधार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। **फिलर्स** का प्रयोग एग्रीगेट्स द्वारा छोड़े गए स्थानों को भरने के लिए और आंतरिक सामंजस्य के सुधार के लिए किया जाता है। कुछ विशेषफिलर्स (फ्लाई ऐश, माइक्रोसिलिका) सीमेंट की आवश्यकता को कम करते हैं। माइक्रोसिलिका मरम्मत सामग्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और पारगम्यता कम कर देता है। **संशोधकों** का प्रयोग मरम्मत सामग्री के गुणों को बढ़ाने और संशोधित करने के लिये किया जाता है। रासायनिक संशोधक के प्रयोग से मरम्मत सामग्री की क्युरिंग और नॉन क्युरिंग अवस्था में कुछ गुणों को नियंत्रित किया जाता है। विविध रासायनिक संशोधकों में एक्सेलरेटर, मंदक, सिकुड़न-कंपनसेटिंग एडिटिव्स, वॉटर रिड्यूसर, प्रवाह क्षमता एजेंट, विस्तार एजेंट, और वायु-प्रवेशी मिश्रण शामिल हैं। संशोधकों के रूप में लेटेक्स (एसबीआर), ऐक्रेलिक, पीवीए और एपॉक्सी इम्पल्शन का प्रयोग किया जाता है। लेटेक्स का उपयोग पारगम्यता कम करने, सब्सट्रेट के साथ मजबूती बंधन बढ़ाने, और माड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी को कम करने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक या स्टील फाइबर सुदृढीकरण का प्रयोग मरम्मत सामग्री की तन्य शक्ति एवं कठोरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फाइबर सुदृढीकरण सिकुड़न क्रैकिंग को नियंत्रित करता है, स्टील, और कुछ में मामले प्लास्टिक फाइबर, का प्रयोग खुरदरापन बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे इम्पैक्ट और घर्षण प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

मरम्मत तकनीकें एवं सामग्रियां: आवश्यकता के आधार पर, मरम्मत तकनीक सतही प्रकृति की हो सकती है या, कुछ मामलों में, संरचना के हिस्से या पूरे मेंबर के प्रतिस्थापन को शामिल कर सकती है। मरम्मत तकनीकों को तीन प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है: (i) दरारों, खाली स्थानों या मधु छत्ताकार क्षेत्रों में इंजेक्शन ग्राउटिंग के माध्यम से मरम्मत कार्य, (ii) कंक्रीट सतह (कंक्रीट कवर गहराई तक) का मरम्मत कार्य, (iii) दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त सामग्री/मेंबर को हटाना और बदलना। कंक्रीट संरचना की मरम्मत के लिए विभिन्न तकनीकें उपलब्ध हैं एवं मुख्य रूप से निम्न मरम्मत तकनीकों और सामग्रियों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है:

कंक्रीट की सीमेंट आधारित मरम्मत: ज्यादातर मामलों में, मरम्मत सामग्री के रूप सीमेंट आधारित का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि कंक्रीट में सीमेंट ही एकमात्र सक्रिय घटक है। क्षतिग्रस्त क्षेत्रों और टूटे हुए हिस्सों को सील करने के लिए समद्व सीमेंट कंक्रीट (सूखा पैक) या सीमेंट ग्राउटिंग उपयुक्त हो सकता है। कई मामलों में, बड़े सतह क्षेत्र की मरम्मत के लिए उच्च दबाव नोजल के माध्यम से कंक्रीट या सीमेंट सैंड ग्राउट का छिड़काव, जिसे आमतौर पर क्रमशः 'शॉटक्रीट' या 'गिनिटिंग' कहा जाता है, प्रभावी साबित हो सकता है। गिनिटिंग या शॉटक्रीट का प्रयोग स्टील रीइन्फोर्सिंग मेस या स्टील फाइबर के साथ या उसके बिना किया जा सकता है। कंक्रीट संरचनाओं की मरम्मत के क्षेत्र में स्टील फाइबर प्रबलित कंक्रीट (एसएफआरसी) का प्रयोग किये जाने से कंक्रीट के कई गुणों और विशेष रूप से इसकी तन्यता ताकत, इम्पैक्ट और घर्षण प्रतिरोधक क्षमता में सुधार पाया गया है। कंक्रीट संरचना के क्षतिग्रस्त हिस्सों में गिनिटिंग या शॉटक्रीट तकनीक द्वारा क्षतिग्रस्त संरचनाओं के किनारों और तल पर एसएफआरसी लगाकर मरम्मत की जा सकती है। सुपरप्लास्टाइज्ड फाइबर प्रबलित कंक्रीट का उपयोग मशीन नींव और भूमिगत संरचनाओं की मरम्मत करने में किया जा

रहा है। कंक्रीट की सीमेंट पर आधारित मरम्मत कार्य में SOR-2012 के मद संख्या 222050, 222071, एवं 222072 का प्रयोग किया जा सकता है।

कंक्रीट की पॉलिमर कंक्रीट कंपोजिट आधारित मरम्मत: सामान्य संरचनात्मक कंक्रीट में पाई जाने वाली अधिकांश कमियों को पॉलिमर कंक्रीट कंपोजिट का प्रयोग संरचना पर सतह कोटिंग के रूप में या इसे संरचना में संसेचित करके दूर किया जाता है। पॉलिमर कंक्रीट कंपोजिट में सामान्य कंक्रीट की अपेक्षा अधिक टिकाऊपन, अत्यधिक स्ट्रेथ और अधिकांश रसायनों और एसिड के लिए पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता होती है। पॉलिमर कंक्रीट कंपोजिट के तीन प्रकार : 1. पॉलिमर इंप्रेग्नेटेड कंक्रीट (पीआईसी), 2. पॉलिमर कंक्रीट (पीसी) और 3. पॉलिमर सीमेंट कंक्रीट या पॉलिमर संशोधित कंक्रीट (पीसीसी या पीएमसी) होते हैं। पीआईसी में मोनोमर्स (स्टाइरीन, मिथाइल-मेथैक्रिलेट (एमएमए), पॉलीमेथाइल मेथैक्रिलेट (पीएमएमए, आदि) को कठोर कंक्रीट के छिद्र प्रणाली में संसेचित किया जाता है, जिससे छिद्र भर जाते हैं और कंक्रीट को रासायनिक हमले के लिए अभेद्य और प्रतिरोधी बना दिया जाता है। पीसी में सीमेंट और पानी के स्थान पर पॉलिमर को बाइंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीसीसी और पीएमसी में, कंक्रीट मिक्सिंग चरण के दौरान सामान्य सीमेंट कंपोजिट में एक पॉलिमरिक एडिटिव (लेटेक्स या ग्री-पॉलिमर) मिलाया जाता है। इन कंपोजिट का उपयोग उनके बेहतर स्थायित्व, मूल कंक्रीट संरचना के लिए उत्कृष्ट बंधन, बेहतर यांत्रिक गुणों, क्लोराइड और एसिड जैसे रसायनों के लिए उच्च स्तर के प्रतिरोध के कारण, जल अवशोषण बहुत कम होने के कारण लगातार बढ़ रहा है। पॉलिमर कंक्रीट को, इसके बेहतर टूट-फूट और घर्षण प्रतिरोध के कारण, एसएफआरसी के साथ या उसके बिना औद्योगिक फर्श और पुल डेक की मरम्मत के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। कंक्रीट संरचना की पॉलिमर कंक्रीट पर आधारित मरम्मत कार्य में SOR-2012 के मद संख्या 222080 और DSR-2021 के मद संख्या 14.75, 26.31.1, 26.33, 26.34, एवं 26.35 का प्रयोग किया जा सकता है।

कंक्रीट की रेजिन आधारित मरम्मत: आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले रेजिन एपॉक्साइड, पॉलिएस्टर, ऐक्रेलिक या पॉलिथीन परिवारों से होते हैं। आम तौर पर, रेजिन सामग्री का उपयोग उन मरम्मत और पुर्नस्थापना कार्य में किया जाता है जहां उच्च शक्ति (पतले खंड), उत्कृष्ट आसंजन (छोटे पैच), त्वरित इलाज (समय की बचत), और उच्च रासायनिक प्रतिरोध जैसे गुणों की आवश्यकता होती है। रेजिन के रूप में एपॉक्साइड का सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है। एपॉक्सी रेजिन सिस्टम का उपयोग सिविल इंजीनियरिंग कार्यों जैसे दरारों की ग्राउटिंग, घिसे हुए कंक्रीट संरचनाओं की मरम्मत, पुलों, जलसेतुओं, रासायनिक रूप से संक्षारित स्तंभों और बीमों की आपातकालीन मरम्मत में किया जाता है। रेजिन मोर्टार को मोटे सैंड या कैल्क्लाइंड बॉक्साइट ग्रेट जैसे फिलर्स के साथ जोड़कर बनाया जाता है। रेजिन और हार्डनर संयुक्त होने पर रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है एवं अधिकांश संयोजनों की पॉट-लाइफ 30 से 60 मिनट के बीच होती है। एपॉक्सी रेजिन में उत्कृष्ट ताकत और चिपकने वाले गुण विकसित होते हैं और वे अच्छे वॉटर प्रूफिंग के अलावा कई रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। एपॉक्सी रेजिन प्राथमिक निर्माण सामग्री नहीं हैं एवं इन रेजिन की उच्च लागत होने के कारण इनका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। कंक्रीट संरचना की एपॉक्सी रेजिन पर आधारित मरम्मत कार्य में SOR-2012 के मद संख्या 222073, एवं 222090 और DSR-2021 के मद संख्या 26.30, 26.31.2, एवं 26.35.3 का प्रयोग किया जा सकता है।

अतीत में निर्मित संरचनाओं में क्षति के मामलों की बढ़ती संख्या के साथ, कंक्रीट संरचनाओं की मरम्मत और पुनर्वास ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। कंक्रीट के स्थायित्व को सतह पर विभिन्न सामग्रियों के अनुप्रयोगों द्वारा बढ़ाया जा सकता है जो इसे जलरोधक, कठोर और रासायनिक हमले के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं। आक्रामक वातावरण के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए कंक्रीट की सतह या रेनफोर्समेंट बार पर लगाने के लिए विशेष पेंट (लेटेक्स या बिटुमेन आधारित) भी उपलब्ध हैं। कंक्रीट संरचनाओं की सतह पर उपस्थित दरारों को सील करने के लिए कई व्यावसायिक सीलेंट उपलब्ध हैं जोकि संरचनात्मक अखंडता और सेवा क्षमता को सुनिश्चित करते हैं एवं कंक्रीट को हानिकारक तरल पदार्थ, गैसों और अन्य अवांछनीय पदार्थों के पारित होने से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मौजूदा नींव की मरम्मत के लिए, विशेष रासायनिक ग्राउट भी वर्तमान में उपलब्ध हैं जो नीचे की मिट्टी का संघनन सुनिश्चित करेंगे और नींव में मजबूत स्टील को सुरक्षा प्रदान करेंगे।

“भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें- SAY NO TO CORRUPTION ; COMMIT TO NATION”

A.P. Pandey
Dy- CVO/Mechanical

देशवासियों में भ्रष्टाचार का विरोध करने की संकल्पना को शैशव अवस्था से परिपक्व अवस्था में विकसित करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञा करने एवं बाह्य व आंतरिक कारकों के वशीभूत भारतीय वैचारिक संस्कृति में एक अवयव के रूप में समाहित से प्रतीत होने वाले अवसर वादिता के कदाचरण को भारतीय जीवन शैली से विलग करने के पावन उद्देश्य से राष्ट्र नीति निर्माणकर्ता द्वारा देशवासियों से भ्रष्टाचार का विरोध करने का आह्वान किया गया है। हमारा देश आज विश्व नेतृत्व क्षमता लिये उन्नति के जिस शिखर पर खड़ा है वहा स्थिर हो विश्व कुटुंबकम की भावना अन्तर्निहित करते हुए समस्त जनमानस कल्याण व उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सबल व सांस्कारिक देश के रूप में स्थापित होने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा “भ्रष्टाचार” का विरोध में राष्ट्र समर्पण के तुल्य आकलित करना निर्विवाद रूप से प्रभावी संकल्प है।

देशवासियों द्वारा देश हित रूपी चंद्रमा के शीतल आभास से पूर्व और उससे भी आगे विश्व उत्थान के सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध के आर्विभाव से काफी पहले अपने मानसिक स्तर को अवांछनीय व्यक्तिगत बेलाग आकांक्षाओं व अतार्किक तुलनात्मकता से उपजे अवसादी विचारों के भ्रूण से जन्मे कदाचरण की धारणा से स्वतंत्र करना आवश्यक है और इससे उपजा आत्मबल ही स्वदर्शन व आत्मविश्लेषण का साहस विकसित करके आंतरिक क्लेश व कदाचरण से व्यक्ति को विलग करने में मुख्य भूमिका निभाएगा और उच्चआत्म अवलोकन युक्त व्यक्तित्व से देश की वर्तमान भारतीय संस्कृति में “भ्रष्ट बने श्रस्ट” की कुत्सित मानसिकता की विचार धारा को अलग थलग करने का कार्य सुगमता से किया जा सकेगा।

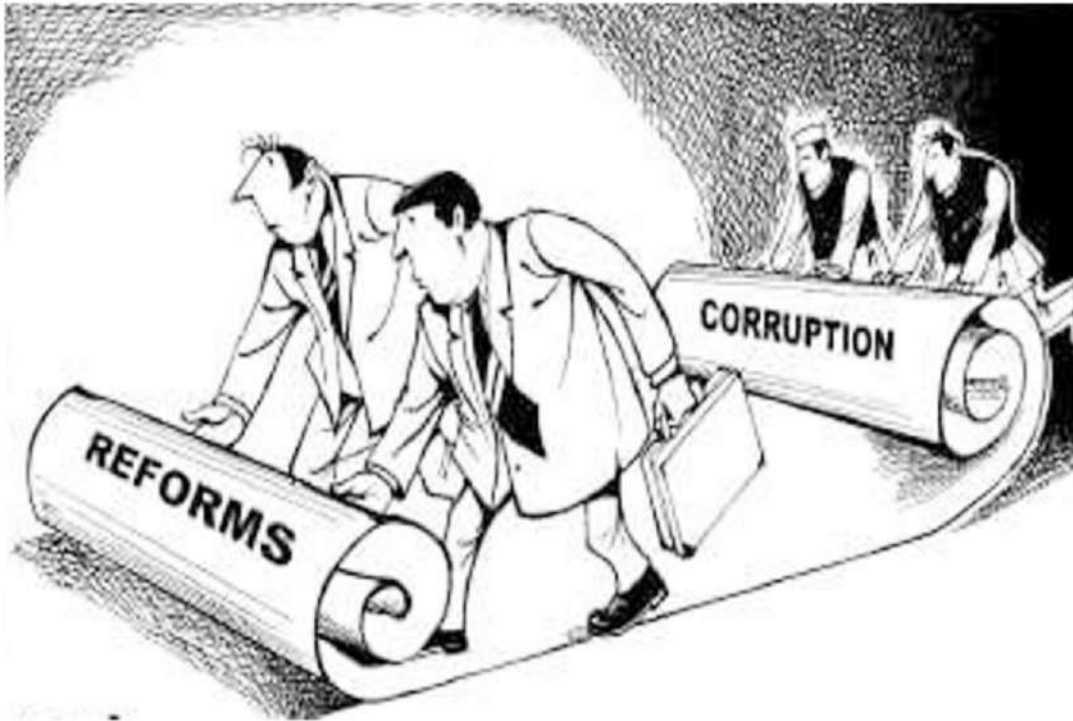
एक समय में भारत में हर रूप में, हर स्थान पर, हर इकाई में व्याप्त व सहर्ष अथवा संघर्षो परान्त स्वीकार भ्रष्टाचार को देश के नीति निर्माताओं व देशवासियों के दृढ़ संकल्पनात्मक प्रयत्नों के फलस्वरूप भ्रष्टाचार को सकल व्यापक रूप से एकल व्याप्त रूप की श्रेणी में लाने में सफलता प्राप्त हुई है। अब विकास की अगली कड़ी के रूप में देश में भ्रष्टाचार मुक्त समाज की संकल्पना की उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु देशवासियों में भ्रष्टाचार का विरोध करने का सामर्थ्य, साहस व संकल्प को नीति निर्माताओं द्वारा विकसित करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का विरोध किसी बाह्य वस्तु का विरोध नहीं है अपितु यह तो व्यक्ति में अन्तर्निहित दुश्चिन्ताओं, अनायास कन्द्रनो में पीठासीन उदासीन व पराधीन, कुत्सित विचारों के विरुद्ध आत्मबल के सहारे लड़ी जाने वाली लड़ाई है। इसमें व्यक्ति में सहज विद्यमान मानवीय गुणों व आदर्शों द्वारा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचारी विचारधारा को समाप्त करना है जिससे देशवासियों में आंतरिक समन्वय स्थापित कर, संपन्न, समृद्ध व स्थिर राष्ट्र निर्माण किया जा सके।

किसी भी सम्प्रत्यय का विरोध करने से पूर्व उसका स्वरूप, प्रकृति व प्रकार का स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है भ्रष्टाचार का अर्थ के संबंध में परिभाषाएं समय, स्थान व दशा के साथ-साथ संवर्धित होती रहती हैं यहाँ तक की देश के विभिन्न विषयों में भ्रष्टाचार की परिभाषाएं भिन्न-भिन्न हैं। एक सामान्य जनमानस की भाषा में आमतौर पर सरकारी सत्ता और सार्वजनिक संसाधनों को नियमों का अपने हित में व्याख्या कर निजी फायदे के लिए किये जाने वाले दुरुपयोग को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है या अधिक व्यापक रूप में निजी या सार्वजनिक जीवन के किसी भी स्थापित और स्वीकार्य मानक का चोरी-छिपे या सार्वजनिक रूप में उल्लंघन भ्रष्टाचार है।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध नीति विशेषज्ञों द्वारा सतत रूप से सुझाए जा रहे बहुआयामी उपाय एवं देशवासियों द्वारा सहर्ष अंगीकार किये गये महत्वपूर्ण पहल जैसे-कार्य सम्पादित करने में डिजिटलाइजेशन का प्रयोग, ई-प्लेटफार्म का विकास इत्यादि और इसी क्रम में विकसित किये गये विभिन्न उपायों जैसे-ऑनलाइन शिकायत निवारण केन्द्र, भ्रष्टाचार की

सूचना देने वाले व्यक्ति के सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया PIDPI (Public Interest Disclosure and Protection of Informer) व सूचना का अधिकार इत्यादि के परिणामस्वरूप आज भारतवासी भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतिम लड़ाई के रूप में "भ्रष्टाचार का विरोध" कर भ्रष्टाचार को देश से पूर्ण रूप से मिटाने के लिए मानसिक रूप से सशक्त हो चुके हैं।

आंतरिक व बाह्य दोनों स्तर पर भ्रष्टाचार का विरोध करने के क्रम में व्यवहार को परिभाषित करने हेतु हम आचरण के सरलतम रूप में महात्मा गांधी द्वारा सुझाए हुए मार्ग का अनुसरण कर राष्ट्र की प्रगति हेतु अपने महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा सुझाए उत्कृष्ट आचरण के उद्धरण कि "जैसा आचरण की अपेक्षा हम अपने लिए दूसरों से करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के प्रति करना चाहिए" एवं महात्मा गांधी के शब्दों में "किसी भी कार्य करने से पूर्व हमारे उस किये गये कृत्य से देश के अत्यधिक साधन विहीन व्यक्ति को पहुँचने वाले लाभ को संज्ञान में अवश्य लेना चाहिए"। उपरोक्त मूल भावना को हृदयगम करके न केवल हम अपने आंतरिक भ्रष्टाचार का विरोध कर सकते हैं वरन समाज में घटित होने वाले कदाचरणों का भी विरोध कर भारत का सकल विश्व नेतृत्व हेतु मार्ग सुगम कर राष्ट्र के प्रति अपने सच्चे समर्पण की भावना को कार्य रूप दे सकते हैं।



एकता के बिना जनशक्ति, शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट न किया जाए।

— सरदार वल्लभ भाई पटेल

PREVENTIVE VIGILANCE IN S&T DEPARTMENT

Vaibhav Srivastava

Dy. CVO/S&T

Signal and Telecommunication Department in Indian Railways is responsible for installation and maintenance of Signalling system essential for the safe & speedy movement of trains and Telecommunication systems required for the effective utilization of the large fleet of locomotives and other rolling stock and track as well as for the administration of the vast railway network. The officers and supervisors involved incessantly in the daunting task of maintaining this enormous system have to deal with various tenders, supply and execution work in their routine schedules.

In the present scenario, there is a major boost on the infrastructure projects in Railways with a very strict deadline for commissioning of targeted projects. At the same time, there is huge cash inflow for these projects which is to be utilized judiciously and cautiously. In these circumstances, there arise many cases of violation of set rules and procedures, non-observance of various guidelines and various mistakes both malafide and bonafide during discharge of duties by officials and supervisors.

Vigilance department always makes an effort to encourage honest officials to take bold initiatives and important decisions, while discharging their duties, in the benefit of Railways while at the same time take steps to crack down malpractices in the department keeping a vigil on the corrupt officials. Hence it becomes pertinent to share some of the important issues which are encountered during day to day working and can lead to intentional/unintentional mistakes so as to prevent malpractice and promote righteousness in the signal department.

Tenders, Contracts and Estimates: -

- Detailed estimate of work should be prepared based on actual requirement at site after proper site survey has been done. It should be duly vetted by associate finance and sanctioned by competent authority.
- Name of the sanctioned work should match with the schedule of work. Rates and description of items taken in schedule should be clear and unambiguous and should be matched accordingly with the unrestricted latest LARs.
- Ensure proper justification and approval of the competent authority has been obtained before issue of corrigendum for modification in open tenders, if required.
- Tender files should be scrutinized thoroughly and all the relevant documents should be kept in file chronologically.
- Ensure Eligibility criteria clause of the tender document is properly compiled to avoid ambiguity while deciding the L1. Proper reasons should be recorded in TC minutes for bypassing the L1 in case it is required.
- Similar Nature of work should be clearly defined in the tender document. Thorough scrutiny of technical and financial eligibility of participating firms should be done by tender committee based on specified criteria as per GCC during evaluation of credentials.
- Negotiation should be done with the firm only in unavoidable circumstances and in condition when it seems that abnormally exorbitant rates have been quoted by the L1 firm which are non workable for railways.
- Even if a material is part of the sanctioned estimate, do not purchase that material through works-contracts if it can be procured through stores/ GeM.

- ♦ Be vigilant about requests for change of inspection clauses, as request may come from the supplier for such a change. Inspection clauses should always be changed in emergent/necessary conditions only with the approval of Tender Accepting authority.
- ♦ Ensure validity of the offer/EMD before issuing of LOA. Don't change the description & specification of items after award of the work.
- ♦ Ensure that, in works tender which makes provision for AMC after completion/ Commissioning of work, the terms and conditions, including response time, penalty clauses are clearly mentioned.
- ♦ Do not keep unrealistic Completion Period for the works. Completion period should be assessed and worked out duly considering the volume of field works, availability of materials, field constraints and overall cost of the work etc.
- ♦ A vitiation statement should always be prepared while doing variation.

Stores Management and Material Handling: -

- ♦ All the signalling stores transactions should be transferred to User Depot Module (UDM) for proper accountal of materials and secure transfer.
- ♦ Ensure Consignee inspections are carried out properly and approved standard format for Consignee Inspection Certificates are used.
- ♦ Always accept supply of pre-inspected items by agencies like RITES, RDSO etc., with proper checking of the seal, supporting inspection certificates and delivery validity.
- ♦ Ensure separate work-wise ledger for issue of materials to contractor is made based on the competent authority's approval. Label card should be provided to store materials and ledger balance regularly updated.
- ♦ No cutting, overwriting or blank spaces should be allowed in the entries on Ledger and DMTR. Relevant paras of IRSEM and Railway board guidelines should be followed.
- ♦ DMTR transactions must be closed on every day and initial should be done on DMTR once in a week. Statement should be sent to Divisional Headquarters once in a month. Any materials issued for works/repairs to contractor/outside agencies shall be done with proper documentation, including recording the quantity, date of issue. Record the date of receipt as and when the same is returned by the contractor.
- ♦ Whenever records are carried forward and brought forward from old ledger to new ledger, date should be Incorporated along with the corresponding carry forward/ brought forward entry in both the registers.
- ♦ Store handover/takeover between the outgoing/incoming incharge should be done after thorough accountal of stock and scrap materials after signing at each page of the ledger.
- ♦ Various signalling and telecom items should be procured/replaced only if they are beyond repair or their codal life has been completed.
- ♦ When issuing the material against the request of supervisor in-charge of the work, challan should be issued in favour of the concerned supervisor only and not in favour of the contractor.
- ♦ Railway materials should be handed to authorized representatives of contractors only for executing work at site. Demand for materials should be made only on the company letterhead to the concerned contractor and the nomination of authorized representatives should be ensured by the contractor on stamp paper along with ID proof and photograph.

- ♦ While issuing or sparing high value T&P items to other units, ensure maintenance of proper records including date of issue/sparing so as to enable tracking of the items.
- ♦ While providing installation certificate of any equipment installed by contractor, concerned supervisor should clearly mention make, model, serial no. of the equipment installed.
- ♦ Scheduled inspection of respective store records and site registers should be done by divisional and construction officers.
- ♦ Ensure receipt of spares/ modules and proper accounting of the Electronic Interlocking, Datalogger, IPS, Axle Counters, MSDAC, AFTC, TPWS, etc. which are supplied by the contractor as per the agreement conditions.
- ♦ Ensure proper accounting and tracing of spare materials supplied by contractors esp in EI/BPAC /IPS installations.
- ♦ Ensure and cross check the serial numbers of the cards/ modules of EI, Datalogger, IPS, Axle Counters, MSDAC, AFTC, TPWS, etc. with RDSO inspection certificate before acceptance of materials, including spares. Record serial number while accepting /issuing/condemning such materials.
- ♦ Do not keep unaccounted released materials at the store depot. Scrap disposal should be done on priority.

Site Execution, Records preparation and Payment: -

- ♦ Ensure execution of work is done at site as per drawing/specification in the agreement. Always provide the copy of LOA along with technical specification to executive in-charge for the work.
- ♦ Do not change the specified site/ location of work without prior approval of the competent authority of the work.
- ♦ Do not forget to maintain site order book/field book for each work separately. The execution of work should be documented chronologically in daily work-site progress register. Apart from this, various other important registers i.e Material at site register, Material consumption register, site inspection instruction booklet by officers, account of released material register etc should invariably be prepared and maintained on regular basis.
- ♦ Tentative cable route plan should be approved from field officials jointly signed by S&T, Electrical and Engg dept before initiating cable laying activities. Signalling cables should be planned to be laid nearest to the rail boundary.
- ♦ Final cable route plans should be updated exactly as per actual cable laid at site clearly showing rail land boundary, track crossing, route diversions etc.
- ♦ Before laying any cable, it should be meggered and all relevant parameters of the cable should be measured and recorded.
- ♦ While laying new cables check the depth, bricks, sand filling, protective pipes etc. before filling up the earth. Distance of normal ground level from the top of the laid cable should not be less than 80 cm. In this regard, SEM and latest Railway Board guidelines should be followed strictly.
- ♦ Installation of cable route markers/RFIDs should be done immediately along with backfilling of soil after cable laying has been completed.
- ♦ Ensure that proper storage of railway materials issued to contractors for work at site is being done in temporary storage godowns to be built by contractors at site with proper supervision by their watchmen.
- ♦ Overwriting should be avoided in Measurement book (MB) and measurements should be specific. Ensure the

Measurement recorded in MB is as per actual work at site and breakup details are recorded along with designated test checks description.

- During commissioning at any station, proper record of released material should be jointly prepared by construction/project supervisors with divisional supervisors and released scrap material should be stacked and timely offered for auction at site/store as per the conditions.
- “No claim certificate” should invariably be taken from both the concerned executive & Contractor as a part of the final bill.
- Final payment should be made to the contractor in the final bill only after ensuring a detailed completion statement is prepared and vetted by associate finance after reconciliation of materials based on material chart and works register has been completed.
- Wherever AMC is in progress, keep AMC Maintenance Record Register and AMC Equipment Spares Register at site duly maintaining proper record of the equipment, AMC visits, spare cards to be kept at site etc., and indicating the functional status of all the modules with date of failure/restoration, if any.
- Do not pass the bill for payment for AMC contracts before ensuring penalty clauses are adhered to; activities of different nature should be kept under different items of schedule to avoid ambiguity and bring clarity in the contract/tender.



SAFEGUARDING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY : LODGING PIDPI COMPLAINTS WITH THE CVC

Sagar
Dy. CVO/Electrical

Introduction

Transparency and accountability are the cornerstones of a well-functioning democracy. In the pursuit of these ideals, whistleblowers play an essential role by bringing to light instances of corruption, misuse of office, and other wrongdoings within government organizations. To facilitate this crucial function, the Central Vigilance Commission (CVC) has established the Public Interest Disclosure and Protection of Informer (PIDPI) mechanism. This mechanism allows individuals to report allegations of corruption and misconduct by employees of the Central Government, corporations governed by Central Acts, government companies, societies, or local authorities under Central Government control. In this comprehensive article, we will not only delve into the steps for lodging PIDPI complaints but also explore the key features of the "Whistle-Blowers" Resolution.

Lodging a PIDPI Complaint : The Essential Steps

Before we explore the significant features of the "Whistle-Blowers" Resolution, it is essential to understand the steps involved in lodging a PIDPI complaint, as outlined in the provided information:

1. The PIDPI Complaint Envelope:

- ♦ To initiate the process, prepare a securely sealed envelope addressed to the Secretary of the Central Vigilance Commission.
- ♦ Clearly label the envelope with "Complaint under the Public Interest Disclosure" or simply "PIDPI" to signify the nature and importance of the contents.

2. Disclosing Personal Information:

- ♦ While maintaining the anonymity of the whistleblower is crucial, the PIDPI complaint must include the complainant's name and address.
- ♦ Importantly, the name and address should be placed either at the beginning or end of the complaint or enclosed in an attached letter.
- ♦ Avoid including this information on the outer envelope to protect the whistleblower's identity.

3. Jurisdiction of the Commission:

- ♦ It's vital to understand that the CVC's jurisdiction extends only to matters related to employees of the Central Government, corporations established under Central Acts, government companies, societies, or local authorities owned or controlled by the Central Government.
- ♦ Complaints concerning personnel employed by State Governments and the activities of State Governments or their corporations do not fall within the purview of the Commission.

4. Mode of Submission:

- ♦ PIDPI complaints should be submitted exclusively through postal services. The Commission does not entertain complaints received via email, the Complaint Management Portal, or any other electronic medium.

- ♦ Whistleblowers must adhere to the traditional method of sending complaints by post to the designated address.

5. Anonymity and Acknowledgment:

- ♦ The Commission maintains strict confidentiality regarding the identity of the complainant to encourage individuals to come forward without fear of retaliation.
- ♦ The Commission does not issue acknowledgments for received complaints, and whistleblowers are strongly advised not to engage in further correspondence with the Commission to protect their interests.
- ♦ Nevertheless, the Commission assures whistleblowers that it will take necessary action if the facts of the case are verifiable.

6. Vigilance Angle vs. Grievance Redressal:

- ♦ PIDPI complaints should focus on matters with a vigilance angle rather than being avenues for grievance redressal.
- ♦ The primary objective is to expose corruption, fraud, or misconduct that harms the public interest.
- ♦ Complaints solely seeking resolution of personal grievances should be directed to the appropriate channels.

7. Protecting Whistleblower Identity:

- ♦ PIDPI complaints should avoid including details that could potentially identify the complainant.
- ♦ If revealing such details becomes unavoidable, it is advisable to submit a regular complaint through the CVC portal to ensure the complainant's identity remains protected throughout the process.

8. Accessing Additional Information:

- ♦ For further guidance and reference, individuals interested in lodging PIDPI complaints can access previous circulars and letters related to PIDPI on the Central Vigilance Commission's website.
- ♦ Now that we've covered the steps for lodging PIDPI complaints, let's delve into the key features of the "Whistle-Blowers" Resolution, which further enhance the transparency and effectiveness of the process.

Key Features of the "Whistle-Blowers" Resolution

- ♦ The "Whistle-Blowers" Resolution, implemented by the Central Vigilance Commission, contains several critical features that are integral to the PIDPI mechanism:

1. Receipt of Complaints:

- ♦ The CVC, acting as the Designated Agency, receives written complaints or disclosures related to allegations of corruption or misuse of office.
- ♦ These complaints can target any employee of the Central Government, corporations established under Central Acts, government companies, societies, or local authorities controlled by the Central Government.

2. Complainant's Identity:

- ♦ The designated agency is responsible for ascertaining the identity of the complainant.
- ♦ If the complainant chooses to remain anonymous, the agency will not take any action in the matter.

3. Protection of Complainant's Identity:

- ♦ The identity of the complainant will not be revealed unless the complainant voluntarily makes the details of the complaint public or discloses their identity to another office or authority.

- ♦ Even when calling for further reports or investigations, the Commission will not disclose the identity of the informant.
- ♦ The concerned head of the organization will also be requested to keep the identity of the informant a secret if they happen to come across it.
- ♦4. **Assistance from Law Enforcement:**
 - ♦ The Commission is authorized to call upon the Central Bureau of Investigation (CBI) or police authorities, as necessary, to provide assistance in completing investigations related to the complaint.
- ♦5. **Protection from Retaliation:**
 - ♦ Whistleblowers who believe they are facing victimization due to filing a complaint or disclosure can seek redress.
 - ♦ They may file an application before the Commission, which can then issue suitable directions to the concerned person or authority to address the grievance.
- ♦6. **Protection for Complainant and Witnesses:**
 - ♦ If the Commission believes that either the complainant or witnesses require protection, it has the authority to issue appropriate directions to the concerned government authorities.
- 7. **Motivated or Vexatious Complaints:**
 - ♦ The Commission has the discretion to determine if a complaint is motivated or vexatious.
 - ♦ In such cases, it is empowered to take appropriate steps.
- ♦8. **Limitations on Inquiry:**
 - ♦ The Commission will not entertain or inquire into any disclosure that is already the subject of a formal and public inquiry under the Public Servants Inquiries Act, 1850, or a matter referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952.
- 9. **Action Against Disclosure Violations:**
 - ♦ If, despite the Commission's directions to the contrary, the identity of the informant is disclosed, the Commission has the authority to initiate appropriate action against the person or agency responsible for such disclosure.

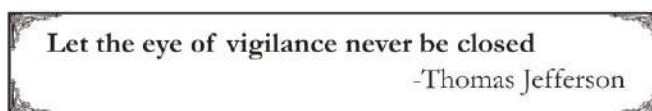
Conclusion

The Public Interest Disclosure and Protection of Informer (PIDPI) mechanism, overseen by the Central Vigilance Commission (CVC), is an essential tool in safeguarding transparency and accountability within government organizations. The step-by-step process for lodging PIDPI complaints ensures that individuals can report wrongdoings confidently, while the key features of the "Whistle-Blowers" Resolution enhance the effectiveness and security of the entire process. By adhering to these guidelines and embracing the PIDPI mechanism, citizens can contribute significantly to upholding the integrity of

Central Government institutions and promoting good governance, ultimately strengthening the foundation of our democracy.

References-

1. https://www.cvc.gov.in/sites/default/files/whistle_0.pdf
2. <https://www.cvc.gov.in/?q=citizens-corner/whistle-blower-complaints>



OUTSOURCING : A WAY OUT?

Shivendra Singh
Dy.CVO/Traffic

With the advent of newer technologies and increasing demand of specialisation in organisations, specially govt. Organisations in the service sector are taking recourse towards outsourcing of ancillary activities. Increasing aspirations and competitiveness in the passenger transportation sector, Indian Railways has been outsourcing its many activities mainly in areas of public interface.

There is intense debate regarding outsourcing/privatisation within Indian Railways. Some say it is only serving one function that is killing Jobs. In others' opinion it is the only way to curtail expenditure and make operations financially viable and sustainable in the long term. It is general opinion that Indian Railways is a mammoth organisation with high operating cost. It is judicious to outsource its allied activities and keep it self limited to the core operations.

Since the last 20-25 years one can see an increasing trend of outsourcing activities in Indian Railways. The Traffic Department, especially its commercial wing, has been offloading its activities to outside agencies mainly through earning contracts. In this scenario it is pertinent to question if outsourcing has brought desired results or it has become a failed endeavour. To understand and analyse the outcome of outsourcing in the commercial department of Indian Railways lets discuss activities wise outsourcing and their outcomes in terms of revenue generation and customer satisfaction. Since involvement of outside agencies create a new business to business interface, questions of transparency and ethics come into picture. These activities need to be examined through a Vigilance angle to understand their utility for an organisation's goal and to look out for any area of corruption as well.

India is a very big country in terms of population and to cater the needs of masses, it is important to have a wider base of ticketing activities. Considering this, in addition to the departmental ticketing, schemes of STBA and JTBS came into picture. Major irregularities seen during vigilance checks are-

1. Irregularities in cash handling mainly overcharging.
2. Irregularities in Non-Issued/ Special Cancellations
3. Misuse of Ticket Rolls.

Considering demands of the logistic sector and better supply chain management. Indian Railways has started a scheme of leased SLRs/VPs. In this scheme Railways get lumpsum amount in advance for leasing out space in SLRs and VPs. This scheme has been found useful in term of revenue generation, profitability and shredding of manpower at parcel offices but some issue could be seen in exception-

1. Overweight consignments by the lease holder.
2. Using the conventional Railway Parcel Traffic for their own good by eating out Railway business through using legitimacy given by organisation

In a recent Vigilance Check at Gorakhpur Parcel Office, a tenderer who was awarded tender for packing articles was overcharging for booking of parcel by disguising as Railway Booking facility and aggregating business meant for railway parcel office and carrying it via lease SLRs and VPs.

Passengers reservation is another area where the YTSK scheme is available to broaden the base of reservation activity. In the recent Vigilance Check at Gyanpur Road area YTSK agent was involved in illegal activities. He was overcharging the passengers and using MP's letter pad to get HO quota release.

On board services in trains are almost outsourced other than ticket checking. Major irregularities found during checks are-

1. AC coach attendants/OBHS staff and power car staff involved in carrying irregular passengers for personal gains.
2. Contractor providing lesser than stipulated staff thus violating contract conditions.
3. On board outsourced staff often found without uniforms/Ids misbehaving with passengers portraying a bad image of organisation in public.

Food Quality served in trains and on Railway Station premises has always been an area of complaints. Some other issues comes into light during vigilance checks-

1. Carrying irregular passengers in Pantry Cars.
2. Overcharging by the vendors for their personal gain.
3. Available less manpower than stipulated.

Some other areas are also problematic. Eg- Pay and Use Toilets, Cycle/Motorcycle/Car Parkings where complaints of overcharging are regular features.

Although outsourcing is not a panacea, it has potential for cost cutting of operations and efficient service delivery. Problematic areas of outsourcing could be fixed by a proactive approach of executives and Vigilance. Contact Conditions need to be clear and stringent towards malpractices so that enough deterrent is available with executives to plug the loopholes arising out of outsourcing activities.



रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम-1968

जय प्रकाश
वरिष्ठक सतर्कता अधिकारी/लेखा

जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेल सेवकों के विरुद्ध रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम-1968 के तहत की जाने वाली कार्यवाही को अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया (Quasi-Judicial proceeding) के रूप में मान्यता प्राप्त है जो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रक्रिया के तहत की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही संभावनाओं पर आधारित फैक्ट्स (Preponderance of probability of the facts) के आधार पर आरम्भ की जाती है जबकि कोर्ट प्रोसिडिंग के मामले में माननीय कोर्ट द्वारा कर्मचारी/व्यक्ति विशेष के विरुद्ध लगाए आरोप को संदेह से परे (Beyond reasonable doubts) पा, जाने के सिद्धान्त पर निस्तारित किया जाता है। कभी-कभी, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि एक सेवक को समान आरोप पर विभागीय स्तर से आरोप पत्र जारी होने तथा दंडित करने के साथ-साथ उसके विरुद्ध न्यायाधिक प्रक्रिया भी आरम्भ की जाती है। ऐसे मामलों में विभागीय स्तर पर रेल सेवक के विरुद्ध रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम-1968 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही/दंडित किए जाने का प्रावधान है। यहाँ यह जरूरी हो जाता है कि डी0ए0आर0 के नियमों के अधीन essential steps का अनुपालन एवं विलम्ब का नहीं होना सुनिश्चित किया जाए। कई बार ऐसा प्रकाश में आया है कि नियमों की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण अन्जाने में जाँच अधिकारी द्वारा essential steps छोड़ दिए जाते हैं जिस वजह से माननीय कैट एवं न्यायालय द्वारा ऐसी जाँच कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही को सही नहीं ठहराया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि जाँच अधिकारी को अनुशासनिक एवं अपील नियमों की विस्तृत जानकारी हो।

प्रशासनिक दृष्टिकोण :

अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया कभी भी किसी रेल सेवक को दंडित करने का माध्यम नहीं हो सकती है। अतः इसका प्रयोग रेल सेवक को दंडित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। यह याद रखने योग्य तथ्य है कि यदि किन्हीं कारणों से एक रेल सेवक को दीर्घ दंड आरोप पत्र जारी किया जाता है तो उसके निस्तारण के लिए रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम-1968 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करने में रेल प्रशासन को मैन डेज लॉस के साथ-साथ उस प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले आरोपी कर्मचारी, उसके बचाव सहायक, जाँच अधिकारी, अभियोजन, वाह आदि को वेतन-भत्ता आदि के साथ ही जहाँ आवश्यक है यात्रा भत्ता का भी भुतान करना पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे में प्रत्येक मामलों में लगभग रु- 5,00,000/- तक का खर्च आता है जो रेल हित में नहीं है। अतः व्यवसायिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक होने पर ही इसका उपयोग करना चाहिए।

आरोप पत्र का आधार एवं स्वरूप :

किसी रेल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है जब उसके द्वारा रेल सेवा (आचरण) नियम-1966 के किसी नियम (कुल नियम-26) का या रेलवे के कोडल प्रावधानों का उल्लंघन किया जा हो। किसी भी रेल सेवक के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके विरुद्ध लागू होने वाले आरोपों के समर्थन में उचित एवं पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया उपलब्ध हों साथ ही जिस कृत्य के लिए आरोप पत्र जारी किया जा रहा

हैं वह कार्य उस रेल सेवक के कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत आता हो। रेल सेवक के विरुद्ध जारी किया जाने वाला आरोप पत्र साधारण भाषा में और सटिक होने चाहिए जिससे कि आरोपी कर्मचारी अपने विरुद्ध लगाए आरोप को समझ सके और अपने पक्ष को प्रशासन के सम्मुख रख सके और ऐसे में उसे किसी अन्य की मदद लेने की आवश्यकता न पड़े। आरोप पत्र मुख्य रूप से थर्ड फॉर्म में बनाया जाना चाहिए और वह या तुम जैसे शब्दों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए। आरोप की घटना की सटिक व्याख्या एवं समझ के लिए घटना स्थल, दिनांक एवं समय का उल्लेख किया जाना चाहिए। आरोप पत्र में एक ही आरोप की पुनरावृत्ति एवं आरोपों को क्लब करने से बचा जाना चाहिए।

निलम्बन :

निलम्बन की प्रक्रिया रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम-1968 के नियम 5 के तहत अपनाई जाती है जिसमें समान्यतया S-F-1 के प्रारूप का प्रयोग होता है। निलम्बन किसी प्रकार का दंड नहीं है। यह एक ऐसा प्रावधान है जिससे आरोपी रेल सेवक को उसके कार्य से कुछ अवधि के लिए विरक्त किया जा सके जिससे कि संबंधित मामले में उस रेल सेवक द्वारा दस्तावेजों के साथ-साथ छेड़-छाड़ न किया जा सके और अन्वेषण का कार्य आसानी से पूरा किया जा सके। निलम्बन पर कर्मचारी द्वारा कार्यालय आकर उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता नहीं है। निलम्बित कर्मचारी को उसके तथा उसके परिवार के लिए जीवन-यापन हेतु निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान है, इसके लिए रेल सेवक से कहीं अन्य रोजगार में नहीं होने का एक घोषणा पत्र लेना होता है। रेल सेवक के निलम्बन का जल्द से जल्द रिवोक किया जाना प्रशासनिक हित में है। नियमों के अधीन यह आवश्यक है कि रेल सेवक के निलम्बन की समीक्षा 90 दिन के पूर्व ही कर ली जाए विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरन्त इसे 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। निलम्बन के मामले में रेल सेवक के विरुद्ध दीर्घ दंड आरोप पत्र जारी किया जाना चाहिए यदि किसी मामले में निलम्बित रेल सेवक के विरुद्ध दीर्घ दंड आरोप पत्र नहीं जारी किया जाता है या फिर लघु दंड अधिरोपित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे रेल सेवक को उसके पूरे वेतन भत्ते का भुगतान करना पड़ेगा और निलम्बन औचित्यहीन माना जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त एक स्थिति यह आती है कि रेल सेवक को भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective effect) से निलम्बन में रखे जाने का आदेश जारी किया जाता है जिसके लिए S-F-2 के प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत वे मामले आते हैं जहाँ एक रेल सेवक के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है या फिर उसे किसी कारणवश 48 घंटे से अधिक समय के लिए पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है।

अनुशासनिक मामलों में पदोन्नति का प्रावधान :

जिन रेल सेवकों के विरुद्ध लघु दंड आरोप पत्र (SF-11) जारी है और दंड अधिरोपित नहीं है उस कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती है। इसके ठीक विपरीत जिन रेल सेवकों के विरुद्ध दीर्घ दंड आरोप पत्र (SF-5) जारी है उनकी पदोन्नति नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी रेल सेवक पर लघु दंड के तहत वेतन वृद्धि के रोके जाने तथा पदोन्नति को withhold किए जाने का दंड अधिरोपित है तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति नहीं होगी। समानरूप से दीर्घ दंड के किसी भी दंड के अधिरोपित रहने के दौरान भी पदोन्नति नहीं होगी।

नियम 14 (i) & (ii) का प्रयोग :

यह नियम रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम-1968 का सबसे संवेदनशील नियम है। इसका प्रयोग काफी सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। नियम 14 (i) का प्रयोग उस रेल सेवक के विरुद्ध की जानी चाहिए जिसे आपराधिक

मामले में सजा हो गई हो या फिर आरोप सेवा नियमों के अनुसार गम्भीर प्रवृत्ति का हो, इसमें रेल सेवक को एक “कारण बताओं नोटिस” जारी करते हुए नियमों के अधीन आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए। रेल सेवक के विरुद्ध नियम 14 (ii) की कार्यवाही करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी के सम्मुख पर्याप्त एवं औचित्यपूर्ण कारण उपलब्ध हो, निष्पक्ष तथ्य हों तथा मनमानी कार्यवाही न हो। इसमें जाँच कार्यवाही की आवश्यक नहीं है परन्तु फिर भी यह अपेक्षा की जाती है कि अनुशासनिक प्राधिकारी एक अन्वेषणकर्ता नियुक्त करते हुए तथ्यों की पूरी जानकारी से अवगत हों। इस नियम के तहत रेल सेवक को रेल सेवा से पदच्युत एवं बर्खास्त किए जाने का प्रावधान है।

अपील के प्रावधान :

अनुशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में अपने विरुद्ध अधिरोपित दंड के विरुद्ध एक रेल सेवक द्वारा दंड अधिरोपण की सूचना (N.I.P.) के प्राप्त होने से 45 दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। दंड अधिरोपण की सूचना (N.I.P.) में स्पष्ट रूप से यह लिखा जाना चाहिए कि उस मामले में अपीलीय प्राधिकारी कौन है? यदि किसी मामले में प्रशासन द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड को संज्ञान में लेते हुए रेल सेवक के अधिरोपित दंड को बढ़ाया जाना अपेक्षित है तो ऐसी स्थिति में दंडित रेल सेवक को एक कारण बताओं नोटिस जाना चाहिए। ऐसे मामलों में यदि दंड बढ़ाया जाता है तो रेल सेवक द्वारा दंड अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी के सम्मुख 45 दिनों के अंदर अपील प्रस्तुत कर सकता है।



पृथ्वी मनुष्य के प्रत्येक इच्छाओं के पूर्ती की क्षमता रखती है, लेकिन उसके लालच की नहीं।

अभिशाप है भ्रष्टाचार

सत्य देव पाठक
वरि.मं. सि. एवं दू.सं.इंजी./लखनऊ मंडल

अभिशाप है भ्रष्टाचार,
उसको ना बढ़ाओ तुम।
सदाचार है अमृत,
उसको अपनाओ तुम।

रिश्वत देकर काम कराना,
रिश्वत लेकर साथ निभाना,
दुराचार हैं कृत्य।
बापू के इस देश में,
भ्रष्टाचार की सोच भी,
इस जीवन का है मृत्यु।
जीवन है वेशकीमती,
उसको ना गंवाओ तुम।
अभिशाप है भ्रष्टाचार,
उसको ना बढ़ाओ तुम।

हेराफेरी काम में करना,
सब नियमों को ताक पर रखना,
कदाचार के पदचिन्ह।
वेद पुराण की संस्कृति में,
हनन चरित्र का बर्दाश्त नहीं किंचित।
सुचरित्र तुम्हारा आभूषण,
शोभा तो बढ़ा लो तुम।
अभिशाप है भ्रष्टाचार,
उसको ना बढ़ाओ तुम।

सही इरादा है तो,
गलती से ना घबराना तुम।
सर्वगम्य और पारदर्शिता,
काम में अपनाना तुम।

लालच का कोई अंत नहीं,
इसमें ना पड़ जाना तुम।
काम से होती पहचान तुम्हारी,
सच्चा काम ही करना तुम।

अभिशाप है भ्रष्टाचार,
उसको ना बढ़ाओ तुम।
सदाचार है अमृत,
उसको अपनाओ तुम।



Preventing Corruption in Indian Railways: Strategies for a Transparent and Efficient System

Mukesh Kumar Singh
AVO/Traffic

Corruption is a pervasive issue that has plagued various sectors of Indian society, and the Indian Railways is no exception. With its vast network, numerous employees, and immense daily operations, the Indian Railways system is susceptible to various forms of corruption. However, recognizing the importance of a clean and efficient railway system, the government and the Railways authorities have taken several measures to prevent and combat corruption within the organization. This article explores the steps and strategies adopted for the prevention of corruption in Indian Railways.

♦ **Transparent Recruitment and Promotion Processes**

A transparent and merit-based recruitment and promotion system is crucial to prevent corruption within the Indian Railways. Nepotism and favoritism in hiring and promoting employees can lead to corruption. Implementing an open and competitive selection process, where candidates are chosen based on their qualifications, skills, and experience, can help reduce corrupt practices. For achieving this objective initial as well as promotional selection processes are being conducted through CBT mode with less human interference.

♦ **Use of Technology**

Embracing technology can be a game-changer in combating corruption. The Indian Railways can use digital platforms for various operations, such as ticketing, cargo tracking, and maintenance schedules. These technologies can reduce human intervention and the potential for bribery. Moreover, the use of surveillance cameras at stations and in trains can deter corrupt activities and provide evidence in case of misconduct. Several portals like FOIS, E-drishti, IRCTC NGET, IREPS, GEM etc are provided for curbing the menace of corruption through use of technology.

♦ **Whistleblower Protection**

Encouraging and protecting whistleblowers is essential in the fight against corruption. The Indian Railways should establish a robust whistleblower protection program to allow employees and the public to report corrupt practices without fear of retaliation. Whistleblower complaints should be thoroughly investigated, and appropriate actions should be taken against wrongdoers. For the same full fledged grievance redressal system is in place like NIVARAN, PIDPI, Vigilance helplines etc.

♦ **Accountability and Transparency**

Transparency in financial transactions and accountability for funds is vital. The Indian Railways should maintain clear and comprehensive financial records that are accessible to the public and audited regularly by independent bodies. This transparency will help prevent embezzlement and misuse of funds.

♦ **Training and Awareness Programs**

Regular training and awareness programs for employees can help instill a strong ethical culture within the organization. Employees should be educated about the consequences of corruption, the importance of integrity, and the benefits of an honest work environment. Such programs can promote a sense of responsibility and discourage corrupt practices. For this Vigilance awareness programs has been made part of initial as well as promotional training courses.

♦ **Strong Internal Oversight**

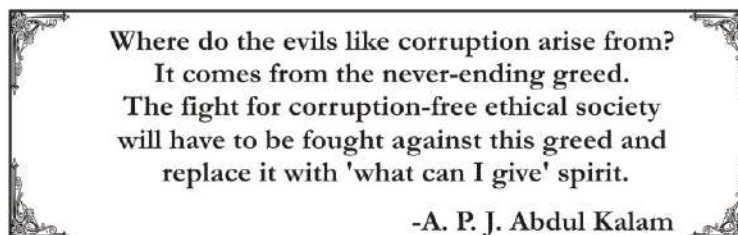
Establishing an internal oversight mechanism is crucial to identify and prevent corruption within the organization. This can include conducting regular audits, inspections, and internal investigations. Additionally, implementing a code of conduct for employees and strict disciplinary measures for those involved in corrupt activities will act as a deterrent.

♦ **Public Participation**

Engaging the public and passengers in the fight against corruption is essential. Indian Railways should encourage passengers and stakeholders to report any corrupt practices they encounter. This can be done through dedicated hotlines, online portals, or mobile apps. Public vigilance can play a significant role in deterring corruption.

Conclusion:

Preventing corruption in the Indian Railways is a complex and ongoing challenge. However, by implementing the strategies mentioned above and fostering a culture of transparency, accountability, and integrity, it is possible to reduce corrupt practices significantly. A corruption-free Indian Railways will not only enhance the efficiency of the system but also contribute to the overall development and prosperity of the nation. It is imperative for all stakeholders, including the government, railway authorities, employees, and the public, to work together to create a corruption-free railway network for the benefit of all.



आने वाले भारत का हम आओ करें गुणगान

राम मोहन सिंह
मुसतानि/इंजीनियरिंग

एकधरा, एक भविष्य और एक परिवार का नारा,
तकनीकी विज्ञान में, आगे होगा देश हमारा।
शिक्षा की यदि बात करें तो, खेल खेल में पढ़ जाएंगे,
अपने दम पर भारत-वासी, सबसे आगे बढ़ जाएंगे।
डिजिटल लाइब्रेरी होगी, होंगे स्मार्ट सारे क्लास,
कठिन परीक्षाएं भी कर लेंगे, हम आसानी से पास।

लिफ्ट, मेट्रो, ऑटोमेशन, राह करेंगी आसान...
आनेवाले भारत का हम आओ करें गुणगान।

भारत के युवा वैज्ञानिक, पॉवर ड्रोन बनाएंगे,
सही समय पर रक्त, दवाएं यही ड्रोन पहुंचाएंगे।
नफरत दिल से मिट जाएगी और बहेगा प्यार,
पहले जैसा फिर से होगा, आपस में व्यवहार।
मिट जाएगा यहां कुपोषण, हर घर में बलवान मिलेंगे,
स्वस्थ तन और मन वाले, भारत में विद्वान मिलेंगे।

जिस भारत के स्वप्न संजोए, जो है अपनी जान...
आनेवाल भारत का हम आओ करें गुणगान।

तकनीकी जब बढ़ जाएगी, तब घर बैठे काम मिलेगा,
ऑटोमेशन वाली सुविधा से, तनको आराम मिलेगा।
शक्ति हमारी बढ़ जाएगी, आधुनिक हथियार से,
मिल जुल रहना सीखेंगे, हम हर एक त्यौहार से।
मजबूत सड़कों के दोनों ओर हरी हरियाली होगी,
2047 तक भारत में बस खुशहाली होगी।

जो भारत है आन हमारी, हम सबका सम्मान..
आने वाले भारत का हम आओ करें गुणगान।

नारी शक्ति वन्दन अधिनियम, से मिलेगा नारी को सम्मान,
अंतरिक्ष की नई गाथा लिखेगा, इसरो का हर नया अभियान।
आजादी के स्वर्ण काल में, मेरा भारत विकसित होगा,
लोगों का आगामी जीवन स्तर, सुविधाओं से उच्च होगा।
तकनीकी के समावेश से, भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा,
अत्याधुनिक विकास की नई गाथा, से युक्त मेरा भारत होगा।

अपना भारत है विश्व गुरु बन, पाए जगत में नया मुकाम ..
आने वाले भारत का हम आओ करें गुणगान।



विभागीय जाँच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भूमिका

संत कुमार
मुसतानि / यातायात

न्यायिक प्रक्रियाओं में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विभागीय जाँच से संबंधित प्रक्रियाओं में भी इसे कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि विभागीय जाँच भी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। यद्यपि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किसी भी कोड, नियम अथवा कानून में औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णा अय्यर द्वारा इसे निम्न प्रकार से सटीक रूप से परिभाषित किया गया है— 'Vocate] interrogate and then adjudicate- It is the cardinal principle of law that no person can be held to be guilty unless charges are informed to him and he is given reasonable opportunity to defend himself-'

संविधान के अनुच्छेद 311 में प्राकृतिक न्याय के उपरोक्त सिद्धांत को स्थान प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हैं। विभागीय जाँच से संबंधित ऐसे मामलों में, जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना होती है, न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।

सामान्यतः विभागीय जाँच प्रक्रिया विभागों, संस्थाओं द्वारा जारी किए गए अनुदेशों / विनियमों के अंतर्गत विनिश्चित की जाती है, जिनका पालन करना आवश्यक होता है। उक्त नियमों एवं अनुच्छेदों के आलोक में किए जाने वाले विभागीय जाँच तकनीकी रूप से दूषित न हो, इसके लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय के निम्नलिखित मूलभूत अवधारणाओं का पालन किया जाए :—

- (i) - Audi alteram partem- अर्थात् किसी भी व्यक्ति/कर्मचारी को तब तक दोषी करार नहीं किया जा सकता, जब तक उसे अपने बचाव का समुचित अवसर प्रदान न किया गया हो अथवा उसे सुना नहीं गया हो।
- (ii) - Nemo judex.in. causa sua अर्थात् कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।

विभागीय जाँच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन आरोपी कर्मचारी के मन में जाँच प्रक्रिया के प्रति आस्था को सुदृढ़ करता है। यदि कोई तटस्थ व्यक्ति जाँच प्रक्रिया से असंतुष्ट होता है, तो यह इस बात का द्योतक है कि उक्त मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का समुचित पालन नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि बगैर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए किसी भी मामले को उसके तार्किक परिणाम तक पहुँचाना सर्वथा असंभव है।

किसी भी मामले की जाँच हेतु जाँच अधिकारी के नामांकन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी तटस्थ व्यक्ति को ही जाँच अधिकारी नामित किया जाना चाहिए। यहाँ तटस्थ शब्द को वृहत अर्थ में लिया जाना चाहिए एवं यह देखा जाना चाहिए कि नामित जाँच अधिकारी आर्थिक, व्यक्तिगत एवं कार्यालय के प्रसंग में तटस्थ हो। यहाँ व्यक्तिगत तटस्थता का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि नामित जाँच अधिकारी, आरोपित कर्मचारी या अधिकारी से शत्रुता अथवा मित्रता का भाव न रखता हो। आर्थिक रूप से तटस्थता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि उक्त मामले में लिए गए निर्णय से जाँच अधिकारी का कोई

आर्थिक हित प्रभावित न हो रहा हो। कार्यालय से संबंधित तटस्थता का अर्थ यह है कि नामित जाँच अधिकारी संबंधित मामले में गवाह न हो एवं उसने मामले की जाँच न की हो अथवा उक्त मामले में वह आरोपित न रहा हो, जिसमें उसे न्यायाधीश बनाया गया है।

प्राकृतिक न्याय के उपरोक्त सिद्धांत के अनुपालन में आरोपित कर्मचारी या अधिकारी द्वारा निश्चित तथा आसन्न दण्ड से बचने हेतु जाँच अधिकारी के बदले जाने से संबंधित निवेदनों पर सतकर्तापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाएं प्रबल होती हैं।

प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत, जो आरोपित कर्मचारी या अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है, के अनुपालन के बगैर आरोपित कर्मचारी या अधिकारी के मामले में न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अतः आरोप से संबंधित सूचना या आरोप पत्र स्पष्ट होना चाहिए एवं सुदृढ़ साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। द्वितीयता आरोपित कर्मचारी या अधिकारी को आरोपों के संदर्भ में अपना बचाव प्रस्तुत करने का समुचित अवसर / समय देना भी आवश्यक है। आरोपित कर्मचारी या अधिकारी द्वारा समयावधि के अंदर कारण बताओ नोटिस का उत्तर न दिए जाने का समुचित आधार होने पर उसे और अधिक मौका दिया जा सकता है।

विभागीय जाँच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना के कुछ उदाहरण निम्नवत हैं—

- (i) आरोपित कर्मचारी या अधिकारी को सम्बद्ध दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं कराया जाना।
- (ii) आरोपित कर्मचारी या अधिकारी को बचाव सहायक की सेवाएं लेने से वंचित करना।
- (iii) आरोपित कर्मचारी या अधिकारी को अनुशासनिक अधिकारी के गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर
- (iv) आरोपित कर्मचारी या अधिकारी को अभियोजन पक्ष के गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर न देना।
- (v) किसी ऐसे अधिकारी को जाँच अधिकारी नियुक्त कर देना, जो तटस्थ न हो।

जाँच अधिकारी अथवा अनुशासनिक अधिकारी द्वारा किसी विशेष प्रक्रिया का पालन न किया जाना सामान्यतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं मानी जा सकती एवं ऐसी स्थिति में कर्मचारी द्वारा यह बताना आवश्यक होगा कि ऐसा कोई कार्य क्यों किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त माना जाए।

विभागीय जाँच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है :-

- (i) आरोप पत्र में आरोपों का स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण होना चाहिए तथा इसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- (ii) आरोपों से संबंधित सभी साक्ष्य आरोपी कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दीर्घ दण्ड के मामलों में जाँच अधिकारी एवं लघु दण्ड के मामलों में अनुशासनिक अधिकारी द्वारा बचाव हेतु आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए।
- (iii) आरोपित कर्मचारी या अधिकारी को बचाव सहायक रखने का अधिकार है एवं कानूनी पहलू वाले मामलों में वह किसी अधिवक्ता को भी बचाव सहायक रख सकता है।
- (iv) जाँच अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी को सभी दृष्टिकोण से तटस्थ होना चाहिए।

- (v) आरोपित कर्मचारी या अधिकारी की उपस्थिति में ही सारे साक्ष्य रिकार्ड कर लिए जाने चाहिए एवं उसे अपने विरुद्ध पेश किये गए गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने का पूरा मौका मिलना चाहिए।
- (vi) आरोपित कर्मचारी से बचाव का संक्षिप्त सारांश मांगे जाने से पूर्व, उसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (यदि कोई हो) द्वारा केस की सुनवाई के पश्चात तैयार की गई लिखित संक्षिप्त टिप्पणी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- (vii) जाँच अधिकारी / अनुशासनिक अधिकारी द्वारा केस में निकाला गया निष्कर्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए एवं आरोपित कर्मचारी या अधिकारी को जाँच रपट की प्रति देने एवं उसका प्रतिवेदन लेने एवं उस पर विचार के बाद ही अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उस पर अंतिम विवेक पूर्ण राय कायम की जानी चाहिए।
- (viii) यद्यपि किसी न्यायालय द्वारा दण्ड की मात्रा को लेकर टिप्पणी सामान्यतः नहीं की जाती है, तथापि विभागीय जाँच के परिणामस्वरूप दिया गया दण्ड जाँच में पाए गए दोष के समरूप होना चाहिए। यदि कोई अधिकारी अनुशासनिक प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर दण्ड की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो आरोपित कर्मचारी या अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देकर एवं उसका बचाव प्राप्त करने एवं उस पर सम्यक विचार करने के पश्चात ही अपना निर्णय लेना चाहिए।

विभागीय जाँच में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के सम्यक अनुपालन कराने की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही इन सिद्धांतों का दुरुपयोग रोकने की भी महती जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। अतः प्रशासन को प्रस्तुत एवं प्रकट तथ्यों के साथ ही परदे के पीछे के सच को भी संज्ञान में लेकर जाँच प्रक्रिया त्वरित गति से पूरी करनी चाहिए क्योंकि दर से किया गया न्याय, न्याय न किए जाने के समरूप हो जाता है।



भ्रष्टाचार : आध्यात्मिक दृष्टिकोण

सूर्य प्रताप सिंह
मुसतानि/सिंग. एवं दू.सं

श्रीमदभागवत्म श्लोक 11.23.18-19

स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः ।

भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥

एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ।

तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥

अनुवाद – चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दुहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिन्ता, गर्व, झगड़ा-लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना-ये पंद्रह दुर्गुण सम्पत्ति-लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। यद्यपि ये दुर्गुण हैं किन्तु लोग भ्रमवश इनको महत्त्व देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो, वह अवांछित भौतिक सम्पत्ति से अपने को अलग रखे ।

श्रीमदभागवत्म श्लोक 7.13.34

शोकमोहाभायक्रोधाग्लैब्यश्रमादयः।

यन्मूलाः सुनृणां जह्यात्स्पृहं प्राणार्थयोर्बुधः ॥

अनुवाद – मानव समाज में जो बुद्धिमान हैं उन्हें शोक, माया, भय, क्रोध, मोह, दरिद्रता तथा अनावश्यक परिश्रम के मूल कारण को त्याग देना चाहिए। इन सबका मूल कारण अनावश्यक प्रतिष्ठा एवं धन की चाह है।

भगवद्गीता श्लोक 16.21

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥

अनुवाद – इस नरक के तीन द्वार हैं-काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है।

श्री ईशोपनिषद् मंत्र 1-2

ईशावास्यं इदं सर्वं

यत् किञ्च जगत्यां जगत्

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा

मा गृधः कस्य स्वि धनम्

कुर्वन् एवेहा कर्माणि

जिजीविषेक् चटः समाः

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति

न कर्म लिप्यते नरे

अनुवाद – ब्रह्माण्ड के भीतर जो भी चेतन या निर्जीव है वह भगवान द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व में है। इसलिए व्यक्ति को केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक हैं, जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई हैं, और किसी को यह अच्छी तरह से जानते हुए भी अन्य चीजों को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि वे किसकी हैं। कोई सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है यदि वह लगातार उस तरह से काम करता रहे, क्योंकि उस तरह का काम उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इस मार्ग का कोई विकल्प नहीं है।

भगवद्गीता श्लोक 3.21

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

अनुवाद – महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, सम्पूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है।

श्रीमद्भागवतमश्लोक 6.1.42-43

सूर्योऽग्निः खं मेरुदेवः सोमः संध्याहनि दिशः।

कं कुरु स्वयं धर्म इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिनः ॥

एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते ।

सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः ॥

अनुवाद – सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, शाम, दिन, रात, दिशाएं, जल, भूमि और स्वयं परमात्मा सभी जीव की गतिविधियों के साक्षी हैं। सजा के पात्र वे लोग हैं जिनकी इन कई गवाहों द्वारा पुष्टि की गई है कि वे अपने निर्धारित नियामक कर्तव्यों से भटक गए हैं। सकाम गतिविधियों में लगा हर व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड पाने के लिए उपयुक्त है।

श्रीमद्भागवतमश्लोक 8.19.21

यावन्तो विषयारू प्रेष्टास्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम् ।

न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप॥

अनुवाद – हे मेरे प्रिय राजा, किसी की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह सब भी उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं।

श्रीमद्भागवतमश्लोक 8.19.24

यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखम् ।

ना सन्तुष्ट स्त्रिभिर्लोकैर जितात्मोप सादितैः ॥

अनुवाद – व्यक्ति को अपने पूर्व प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष कभी भी खुशी नहीं ला सकता। जो व्यक्ति संयमी नहीं है वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं हो सकता।

भ्रष्टाचार की व्यवहारिक समझ

पवन कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि/विद्युत

भ्रष्टाचार शब्द, भ्रष्ट + आचार का सन्धि है, जिसमें भ्रष्ट बुराई को इंगित करता है और आचार मनुष्य को दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप और व्यवहार को दर्शाता है। अतः जीवन में बुरे आचरण को अपनाना ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का सम्बन्ध व्यक्ति या समूह द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा करने से है। कर्तव्यों की उपेक्षा आर्थिक लाभ या अन्य लाभों के लिए की जाती है। यह एक सैद्धांतिक विचार है, जिसे हम बार-बार समझने और याद करने की कोशिश करते हैं, परंतु इसे व्यवहारिक रूप से स्वयं में पूर्ण रूप से उतार पाने में अक्षम सिद्ध होते हैं, और यह समझ लेते हैं कि आंशिक भ्रष्ट आचरण अक्षमता में ही कार्य करना हमारी मजबूरी है।

आइये इस भ्रष्टाचार शब्द को व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करें।

भ्रष्टाचार = भ्रसक + टालने का + आचरण

निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा का अर्थ व्यापक है, परन्तु इसे समझने में "टालने का आचरण" बहुत व्यवहारिक है। यदि हमारे मन कुछ गलत अपेक्षा है, तो हम कार्य को टालने का प्रयास करते हैं। हम कार्य में देरी कर अपने महत्व को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार आंशिक भ्रष्ट आचरण से अन्य को भी आंशिक भ्रष्ट आचरण की सहभागिता के लिए तैयार करते हैं। चूंकि भ्रष्ट आचरण में आदान-प्रदान दोनों ही आता है। अतः इससे एक आंशिक भ्रष्टता के आचरण का वातावरण सा बनता जाता है। कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट पैदा नहीं होता है, परंतु वह जिस वातावरण में रहता है, वह वैसा ही व्यवहार करने लगता है।

निश्चित ही हमारी पृष्ठभूमि शिक्षित है, और स्वयं में कार्य हम कार्य की मात्रा को समय के सापेक्ष रखते हुए कार्य के व्यवहारिक समयावधि निर्णय लेते ही है। अतः किसी भी कार्य की आवश्यक समयावधि का व्यवहार हमारे व्यक्तिगत कार्यों में हमेशा ही होता है, तो हम कार्यस्थल पर अथवा कार्यालयों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में यह टालने का व्यवहार क्यों करते हैं? यह टालने का व्यवहार व्यक्तिगत रूप से हमारे सामाजिक एवं मानसिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, जो ईर्ष्या, द्वेष, लालच, असन्तोष, अभिमान जैसे दुर्गुणों को उत्पन्न कर देता है। अन्तः हम मानवता के धर्म से दूर होते जाते हैं, और अपने मानवीय गुण धर्म जैसे-स्नेह, सेवा, सम्मान, आदर्श, स्वास्थ्य, शांति आदि को खो देता है। मानवीय गुणों के बिना मनुष्य का आचार विचार दिशाहीन हो जाता है, और अप्राकृतिक व्यवहार करने लगता है। यह दिशाहीनता मानव के अल्पायु होने व विनाश का कारण बन जाता है। मानव जीवन चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें हम अपनी एक नई पीढ़ी को अपने कर्मों को स्थानांतरित करते हैं, यदि यह संज्ञान में है, तो हम हमेशा दिशाहीनता की स्थिति से बचना होगा।

आज के संदर्भ में भले ही इंटरनेट, ई-ऑफिस, सिटिजन चार्टर, लोकपाल इत्यादि भ्रष्टाचार रोकथाम के विभिन्न नियम एवं कानून लागू हैं, परंतु केवल स्वयं को सही दिशा में रखने के लिए अपने कार्य में यह टालने का वैचारिक आचरण छोड़ना होगा। इस जागरूकता से उत्पन्न नयी उमंग और जोश के समन्वय से हम आवश्यक समयावधि में कार्य को आगे बढ़ाने अथवा कार्य को पूरा करने मात्र से ही एक पारदर्शी, न्याय समृद्ध सुख व शांति से युक्त मानव समाज बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

Corruption is a crime against humanity,
and we must never tolerate it.

- Margaret Mend

भ्रष्टाचार का समाज पर प्रभाव

शिव कान्त कौशिक
(मुसतानि/विद्युत)

क्या है भ्रष्टाचार?

भ्रष्टाचार एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पद या शक्ति का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति या संस्था से अवैध लाभ प्राप्त करता है। यह एक गंभीर समस्या है जो समाज के सभी स्तरों पर मौजूद है, और यह विकास और समृद्धि को बाधित कर सकता है।

भ्रष्टाचार के कारण

भ्रष्टाचार के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- ♦ लोभ: कुछ लोग पैसा या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं।
- ♦ मजबूरी: कुछ लोग आर्थिक या अन्य दबाव के कारण भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं।
- ♦ शून्य जवाबदेही: कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा।
- ♦ कानून और कानून प्रवर्तन की कमजोरियों: भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती हैं।

भ्रष्टाचार के प्रभाव

भ्रष्टाचार के कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं :

- ♦ गरीबों और वंचितों के लिए असमानता: भ्रष्टाचार अक्सर गरीबों और वंचितों के लिए असमानता को बढ़ावा देता है।
- ♦ अर्थव्यवस्था को नुकसान: भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह निवेश को कम कर सकता है और विकास को बाधित कर सकता है।
- ♦ लोकतंत्र को कमजोर करना: भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह लोगों का विश्वास कम कर सकता है कि सरकार उनकी सेवा नहीं कर रही है।

भ्रष्टाचार को कैसे रोकें

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं :

- ♦ शिक्षा और जागरूकता: लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में शिक्षित करना और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।
- ♦ कानून और कानून प्रवर्तन में सुधार: भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत कानून और प्रभावी कानून प्रवर्तन की आवश्यकता है।
- ♦ राजनीतिक सुधार: भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि।

निष्कर्ष

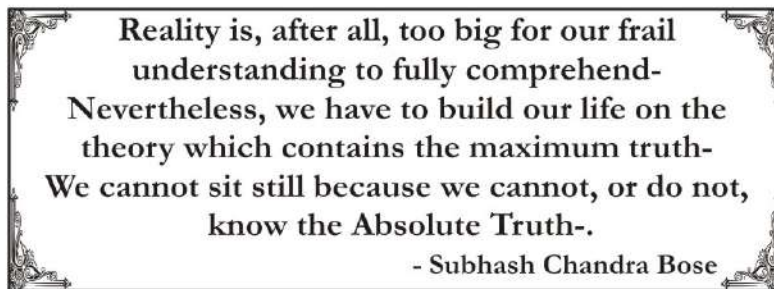
भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जिसे दूर करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा, कानून और कानून प्रवर्तन में सुधार, और राजनीतिक सुधार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय हैं।

**CASE
STUDIES
AND
SYSTEM
IMPROVEMENTS**

RPF स्टाफ द्वारा रेलवे हॉस्पिटल में सिक अवधि के दौरान लिए जा रहे अलाउंस को संज्ञान में लेकर की जा रही सतर्कता निवारक जाँच

पंकज कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि/चिकित्सा

RPF स्टाफ द्वारा रेलवे हॉस्पिटल में सिक अवधि के दौरान लिए जा रहे अलाउंस को संज्ञान में लेकर की गयी एक सतर्कता निवारक जाँच में पाया गया कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (पी एण्ड ए)।- 2005/एएलएल/आरपीएफ-2, दिनांक 14.06.2018 के पैरा संख्या 02 के अनुसार राशन राशि भत्ता के लिए दिए गए प्रावधान, "परिवर्तित अवकाश, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के दौरान रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को कोई राशन राशि भत्ता स्वीकार्य नहीं है" का अनुपालन नहीं हो रहा है। सिक पर गए कर्मचारियों द्वारा ली गयी लीव को मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर कम्प्यूटेड लीव के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जांच में पाया गया कि मंडल चिकित्सालय, वाराणसी में वर्ष-2022 में सिक पर रहे 102 RPF स्टाफ में से रैंडम बेसेस पर 42 RPF स्टाफ की जांच में 09 RPF कर्मचारियों को सिक अवधि में भी राशन मनी भत्ता पे किया गया था। यदि उपरोक्त तथ्य को इस वर्ष पे किये गए कुल सिक पर रहे 102 RPF स्टाफ को दिए गए राशन मनी भत्ता रु 394562/- के संदर्भ में देखा जाए तो इस राशि का 21 प्रतिशत यानी की लगभग रु 82,858/- राशन मनी की रिकवरी की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गयी है। इसी प्रकार मंडल चिकित्सालय, इज्जतनगर में वर्ष-2022 में सिक पर गए 50 RPF स्टाफ में से जांचे गए 23 RPF स्टाफ के सैलरी बिलों में 14 RPF स्टाफ को सिक अवधि में भी राशन मनी भत्ता पे किया गया था, ल.ना.मि.रे.चि., गोरखपुर में कुल 96 RPF स्टाफ द्वारा वर्ष-2022 रैंडम बेस पर कुल 18 RPF स्टाफ की सैलरी आय की जांच की गयी, जांच में 18 में से 16 RPF कर्मचारियों की सैलरी से इनके द्वारा सिक किये जाने के बावजूद भी सिक अवधि का राशन मनी चार्ज की गयी थी। इसी प्रकार वर्ष-2022 में मंडल चिकित्सालय, लखनऊ में कुल 113 RPF स्टाफ में से रैंडम बेस पर जांचे गए 23 RPF स्टाफ की सैलरी आय की जांच में 07 RPF कर्मचारियों की सैलरी से इनके द्वारा सिक किये जाने के बावजूद भी सिक अवधि का राशन मनी भत्ता दिया गया था। पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में यह राशि जोड़ी जाये तो ये राशि लगभग रु 8,33,965.04/- होगी, जिसकी रिकवरी सिक पर गए संबंधित RPF स्टाफ से की जानी चाहिए थी स यदि इस राशि को 4 वर्षों (जब से यह संदर्भ में रेलवे बोर्ड पत्र जारी हुआ है) में देखें तो यह राशि कहीं अधिक है। चूँकि सिक अवधि में दिए गए राशन भत्ते की कटौती न किए जाने की यह अनियमितता पूरे सिस्टम में एक समान पाई गयी है, अतः इस अनियमितता के लिए कोई एक व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराते हुए रिकवरी एवं पद्धति सुधार संबंधी पत्र प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर रेलवे को प्रेषित किया गया जिसके पश्चात आर.पी.एफ द्वारा लगभग रु 35,000,00/- (पैंतीस लाख) की रिकवरी की गयी।



REFERRAL OF PATIENT FROM A DIVISIONAL RAILWAY HOSPITAL TO EMPANELLED HOSPITAL

पंकज कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि/चिकित्सा

एक सतर्कता जांच के क्रम में पाया गया कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/H-1/11/58/Policy, दिनांक 21/06/2018 के अनुपालन में : "It has decided that while making the referral letter patients or their relatives will be asked to go through the list of empanelled hospitals already displayed in OPD or office where referral letter is being prepared and to give their choice in writing which can be endorsed on the referral letter- Patients or relatives will also affix his/her signature/LTI/RTI in the side space-" जिसके अनुसार रोगी या उसके परिजन की रेफर लेटर पर रेफरल हॉस्पिटल का लिखित सहमति लिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसे संज्ञान में लेकर एक मंडल चिकित्सालय में रेलवे के इम्पैनलड हॉस्पिटल में रेफर किये गए पेशेंट की स्वीकृति ली गई है या नहीं, की जांच की गई। जांच के समय पाया गया कि रेफरल लेटर पर रोगी/परिजन द्वारा रेफरल लेटर प्राप्ति की संक्षिप्त में सूचना दी जा रही थी तथा कोई उचित प्रारूप नहीं था स अतः सभी मंडल चिकित्सालयों एवं केंद्रीय चिकित्सालय को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2016/H-1/11/58/Policy, दिनांक 21/06/2018 एवं कार्यालय महाप्रबंधक, सतर्कता से जारी सिस्टम इंप्रूवमेंट पत्र सं. V/9/2021/08/001972/PC दिनांक 15/12/2021 के अनुपालन में अलग से इम्पैनलड हॉस्पिटल का सूची एवं विवरण के साथ उचित प्रारूप में उस पर रोगी अथवा उसके परिजन से सहमति लें, जिससे रोगी अथवा उसके परिजन को रेफरल से सम्बंधित इम्पैनलड हॉस्पिटल की पूर्ण जानकारी स्पष्ट हो सके। प्रारूप इस प्रकार है :-

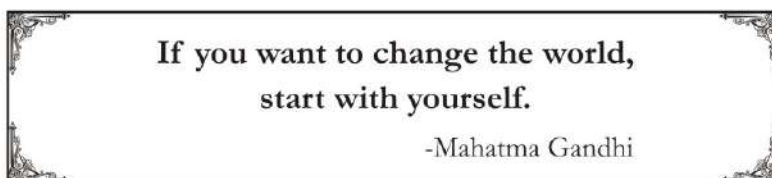
Sr.No.	Name of The Hospital	Address	Phone No-	Empanelled For

घोषणा पत्र

उपरोक्त इम्पैनलड सरकारी/प्राइवेट हॉस्पिटल की लिस्ट को मेरे द्वारा पूरी तरह से समझने के पश्चात् अपनी स्वेच्छा से मैं हॉस्पिटल में अपना उपचार कराना चाहता/चाहती हूँ। मुझे उपचार हेतु वहां रेफर करने का कष्ट करें।

दिनांक :-

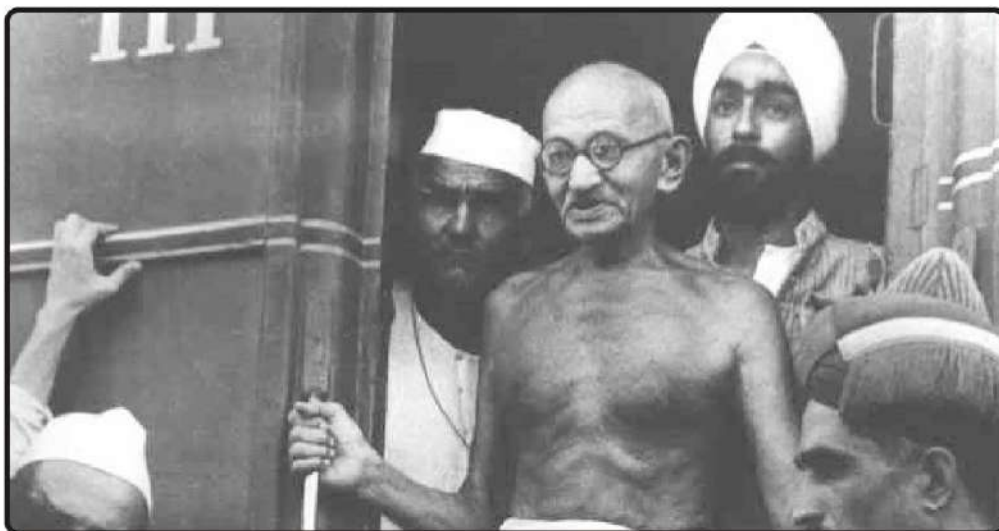
कर्मचारी/आश्रित का हस्ताक्षर



पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के एक मंडल में कूटरचित बोनाफाइड प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके छात्रावास अनुदान प्राप्त करना

एस0 के0 भारती
मुसतानि/लेखा

पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के एक मंडल में छात्रावास अनुदान भुगतान को लेकर सतर्कता निवारक जांच किया गया, जांच में पाया गया कि एक कर्मचारी द्वारा अपने प्रथम दो बच्चों के लिए छात्रावास अनुदान के मद में एक विद्यालय का कूटरचित बोनाफाइड प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2021-22 तक कुल 3 वर्षों के लिए क्रमशः रुपया 1,62,000.00 रुपया 1,62,000.00 रुपया 1,62,000.00 प्राप्त किया गया, इस प्रकार कर्मचारी द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक कुल रुपया 4,86,000.00 (चार लाख छियासी हजार) का छात्रावास अनुदान के मद में भुगतान प्राप्त किया गया। सतर्कता जांच के दौरान विद्यालय की सत्यता जाँच हेतु कूटरचित बोनाफाइड प्रमाणपत्र में अंकित विद्यालय के पते पर गये, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन में बताया गया कि उक्त अभिभावक के बच्चे ना तो यहां से कभी अध्ययन किए हैं और ना ही संलग्नक बोनाफाइड प्रमाण-पत्र इस विद्यालय द्वारा जारी किया गया है। विद्यालय की सत्यता के लिए कर्मचारी से अपने दोनों बच्चों के उक्त विद्यालय द्वारा जारी अंक पत्र/प्रमाणपत्र की मांग की गई जिसमें पाया गया कि कर्मचारी के दोनों बच्चे उपरोक्त अवधियों में किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन किए थे जबकि कर्मचारी द्वारा छात्रावास अनुदान जिस विद्यालय में इनके दोनों बच्चे अध्ययन नहीं किए थे उस विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण-पत्र को कूटरचित तरीके से बनाकर भुगतान प्राप्त किया जा रहा था। इस संबंध में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए रुपया 4,86,000.00 (चार लाख छियासी हजार) की वसूली संबंधित कर्मचारी के वेतन से किये जाने तथा छात्रावास अनुदान बोनाफाइड प्रमाणपत्र सहित एक पद्धति सुधार की अनुशंसा की गई है।



"Be the change you want to see in the world."

-Mahatma Gandhi

परिवहन भत्ता के मद में अनियमित भुगतान

एस0के0भारती
मुसतानि/लेखा

पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के एक इकाई में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या PC-V/2017/A/TA/1 दिनांक 03.08.2017 के नियम-4 में निम्नलिखित परिस्थितियों में परिवहन भत्ता की स्वीकार्यता का वर्णन है-

- (क) छुट्टी के दौरान-जिसमें पूरे माह में छुट्टी ली गई हो देय नहीं है।
- (ख) विदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान यह भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (ग) यदि कोई कर्मचारी दौरे में होने के कारण पूरे कैलेंडर माह मुख्यालय/तैनाती के स्थान से बाहर रहता हो, देय नहीं है।
- (घ) यदि प्रशिक्षण संस्थान जाने के लिए यात्रा सुविधा/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है तो ऐसे प्रशिक्षण के दौरान यह भत्ता दिया जाए।
- (ङ) पूरे कैलेंडर माह फील्ड/निरीक्षण/सर्वे ड्यूटी अथवा दौरे के लिए यदि किसी को रोड माइलेज/दैनिक भत्ता अथवा मुक्त वाहन प्राप्त किया जाता हो, तो वह उस कैलेंडर माह के लिए परिवहन भत्ते का पात्र नहीं होगा।
- (च) वेकेशन स्टाफ परिवहन भत्ते का पात्र है बशर्ते ऐसे स्टाफ को कोई मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान नहीं की गई हो बहरहाल जब वेकेशन स्पेल जिसमें सभी तरह की छुट्टियां शामिल है पूरे कैलेंडर माह का हो तो यह भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (छ) निलंबन के दौरान-चुकी निलंबित सरकारी कर्मचारी को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वह ऐसी स्थिति में निलंबन के दौरान परिवहन भत्ते का पात्र नहीं है जहां निलंबन पूरे कैलेंडर माह के लिए हो। यदि निलंबन की अवधि को अंततः ड्यूटी के रूप में देखा जाता है तब भी यह स्थिति लागू रहेगी। जहां निलंबन की अवधि कैलेंडर माह को आंशिक रूप से कवर करती हो उस माह के लिए देय परिवहन भत्ता आनुपातिक रूप से कम किया जाए। इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या V/2017/A/TA/1(E) दिनांक 17.10.2022 के अनुसार – “परिवहन भत्ता उन कैलेंडर माह के लिए स्वीकार्य नहीं होगा जिनमें पूरी छुट्टी ली गयी है” को परिवहन भत्ता भुगतान को लेकर सतर्कता निवारक जांच किया गया, जांच में पाया गया कि उस इकाई के विभिन्न कर्मचारी पूरे कैलेंडर माह राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि के दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहे जिसके कारण उन्हें इन अवधियों में वाहन भत्ता का भुगतान नहीं होना चाहिए परंतु उनके पक्ष में परिवहन भत्ता का भुगतान हुआ पाया गया। पूरे कैलेंडर माह अनुपस्थित रहे कर्मचारी को अधिभुगतान हुए परिवहन भत्ता की कटौती की अनुशंसा की गई और परिवहन भत्ता के मद में कर्मचारियों के वेतन से लगभग कुल रु. 3,18,074.00 (तीन लाख अठारह हजार चौहत्तर) की कटौती हुई।

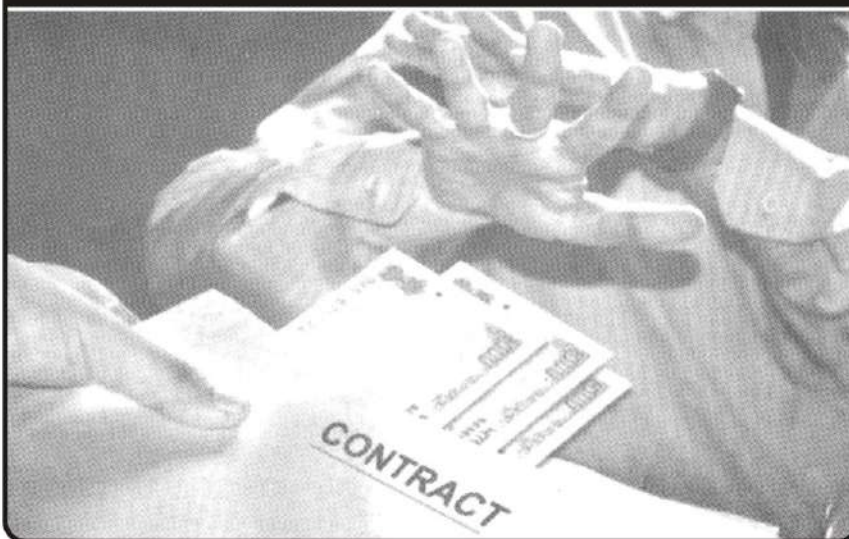
एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को
बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है.
— गौतम बुद्ध

क्रयादेश से भिन्न सामग्री प्राप्त होने के सम्बन्ध में

राकेश कुमार सिंह
(मुसतानि/भंडार)

एक सतर्कता जांच के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे की एक यूनिट में एक सीनियर सेक्शन इंजी०के यहां नान स्टॉक क्रयादेश के अन्तर्गत प्राप्त सामग्री "Unbranded Stainless steel 304 spring loaded gas lighter, Model& Gas lighter 12 inch" जो एक प्रकार की Industrial Gas Lighter होती है कि जांच में यह पाया गया कि प्रतिष्ठान के द्वारा क्रयादेश में अंकित Industrial Gas Lighter के स्थान पर क्रयादेश से भिन्न घरेलू Gas Lighter की आपूर्ति की पायी गयी अर्थात जिस सामग्री के लिए क्रयादेश जारी किया गया वह सामग्री और प्रतिष्ठान द्वारा आपूर्तित सामग्री वास्तव में दोनों ही भिन्न-भिन्न पायी गयी। प्रतिष्ठान के द्वारा सामग्री की आपूर्ति के समय जो भी प्रपत्र प्रस्तुत किये गए वह क्रयादेश में वर्णित सामग्री के ही प्रस्तुत किये गये परन्तु क्रयादेश में अंकित सामग्री के प्रपत्र के साथ भिन्न तथा क्रयादेश से बहुत कम मूल्य के सामग्री की आपूर्ति की पायी गयी। जांच में प्रभारी सी०से०इंजी०के द्वारा प्रतिष्ठान को Favour करने के उद्देश्य से क्रयादेश से भिन्न सामग्री होने के बाद भी उसकी Suitability दी पायी गयी। इससे लगभग रु० 44322/- के रेल राजस्व की क्षति पहुंचाने की कोशिश की गयी परन्तु सही समय पर सतर्कता जांच के कारण इस क्षति को रोका पाया गया। सम्बन्धित सीनियर सेक्शन इंजी०के द्वारा की गयी उक्त अनियमितता के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।

**EVERY BRIBE REFUSED
IS A GIFT THE NATION**



प्रतिष्ठान द्वारा गलत टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में

राकेश कुमार सिंह
(मुसतानि/भंडार)

एक सतर्कता जांच के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे की एक यूनिट में प्राप्त नान स्टॉक सामग्री को सम्बन्धित सीनियर सेक्शन इंजी०द्वारा प्रतिष्ठान के द्वारा उपलब्ध कराये गये एक NABL Approved Lab की टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर मात्र Practical Suitability करते हुए सुयोग्य किया गया जबकि आपूर्ति सामग्री की जो टेस्ट रिपोर्ट मांगकर्ता को उपलब्ध कराया गया, सतर्कता जांच में वह रिपोर्ट गलत पायी गयी तथा रिपोर्ट जिस NABL Approved Lab के द्वारा जारी किया गया उस लैब के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उस टेस्ट रिपोर्ट को उनके लैब द्वारा जारी नहीं किया गया है। सतर्कता जांच के दौरान जब उक्त सामग्री को पुनः लैब में जांच कराया गया तो सामग्री को मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। सम्बन्धित सीनियर सेक्शन इंजी०के द्वारा एक प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराये गए फर्जी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सामग्री का लेखांकन करते हुए प्रतिष्ठान को रु० 225568/- का भुगतान कर दिया गया। जांच में मांगकर्ता को False information उपलब्ध कराने के मामले में सम्बन्धित प्रतिष्ठान के विरुद्ध Revised Indian Railway Standard (IRS) Condition of Contract के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के लिए सम्बन्धित विभाग को पत्र लिखा गया।

रेल अधिनियम/ RP(UP Act)

के अंतर्गत गिरफ्तार किये गए अभियुक्तों के सम्बन्ध
में की गई सतर्कता जाँच

श्रवण कुमार यादव
(मुसतानि/सुरक्षा)

रेलवे सुरक्षा बल, पोस्टों द्वारा रेल अधिनियम/RP(UP Act) के अंतर्गत गिरफ्तार किये गए अभियुक्तों से जामा तलाशी के दौरान जब्त किये गए धन/सामग्री के रिकॉर्ड मेंटेनेंस के सम्बन्ध में सतर्कता जाँच की गई। जाँच में पाया गया कि :-

अभियुक्तों से जामा तलाशी के दौरान जब्त किए गए रुपये पोस्ट पर एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ पाया गया जबकि उसका रिकॉर्ड जामा तलाशी पंजिका में कहीं भी दर्ज नहीं है।

अभियुक्त से जामा तलाशी में जब्त किये गए धन जामा तलाशी पंजिका में दर्ज है लेकिन जाँच के दौरान पोस्ट पर रखे गए बॉक्स के अंदर नहीं पाया गया।

जमा तालाशी में अभियुक्त का जब्त धन राशि पावती लेकर उसको वापस कर दिया गया फिर भी पोस्ट पर बॉक्स में रखा हुआ पाया गया। सम्बंधित बल सदस्यों के विरुद्ध अनुसाशनिक कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

यात्री टिकट सुविधा केंद्र के एजेंट द्वारा कारित की जा रही गंभीर अनियमितताएं

अनादि प्रताप सिंह
मुसतानि/यातायात

पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन को एक स्रोत सूचना प्राप्त हो रही थी कि वाराणसी मंडल के A शहर में स्थित यात्री टिकट सुविधा केंद्र पर आरक्षित टिकटों का अवैध कारोबार किया जा रहा है तथा निर्धारित किराये से अधिक किराया लेकर टिकट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यालय कोटा का दुरुपयोग कर टिकट कन्फर्म कराकर जरूरतमंदों से अवैध धनराशि वसूली जा रही है।

1. उपरोक्त सूचना की पुष्टि के लिए दिनांक 08/06/2023 को कार्यालय सहायक को छद्म यात्री के भेष में प्रयोग करते हुए उक्त YTSK काउंटर पर A से B के टिकट की मांग करने को निर्देशित किया गया।
2. कार्यालय सहायक द्वारा YTSK काउंटर पर पहुँच कर कार्यरत केंद्र संचालक से उपरोक्त टिकट की मांग की गई तो केंद्र संचालक द्वारा उन्हें गाड़ी सं X का A से B का स्लीपर क्लास का Waiting List टिकट जारी किया गया। (PNR-xxx) मूल्य रु. 680)
3. केंद्र संचालक ने उक्त जारी हुए WL टिकट को मुख्यालय कोटा से कन्फर्म करवाने की बात कही गई एवं इसकी एवज में टिकट के मूल्य रु. 680 के स्थान पर 1000 कार्यालय सहायक से लिया। इसके उपरांत उन्होंने एक सम्मानित जनप्रतिनिधि के लेटर हेड पर टिकट का विवरण अंकित करके मंडल कार्यालय के मुख्यालय कोटा के बॉक्स में कार्यालय सहायक को ही डालने के लिए दे दिया।
4. इसी अनुक्रम में दिनांक 10/06/2023 को सतर्कता दल द्वारा रेलवे सुरक्षा बल की एक टीम को साथ में लेकर उक्त केंद्र पर समय लगभग 11/20 बजे पहुंचकर अपना परिचय देकर छापा डाला।
5. केंद्र संचालक ने स्वीकार किया कि गर्मी के सीजन में टिकट की मांग ज्यादा होने के कारण प्रति यात्री 200 से 300 अधिक लेकर टिकट बनाता हूँ। केंद्र संचालक की अभिरक्षा में तत्काल आरक्षण (PRS Window Ticket) के 5 टिकट जिनका मूल्य रु. 30035, Advance Reservation Period Opening Day (PRS Window Ticket) के 7 टिकट जिनका मूल्य रु. 17765 एवं वर्तमान तिथि 10/06/2023 के आरक्षित टिकटों की छायाप्रति जिसका मूल्य 12265 मिले। सम्मानित जनप्रतिनिधि के 7 अदद हस्ताक्षरित लेटर हेड भी बरामद हुए।
6. यात्रियों से लेनदेन एवं यात्रा से सम्बंधित विवरण आदि के 2 अदद रजिस्टर, 2 अदद डायरी एवं 2 अदद नोट पैड भी मिले। इसके अतिरिक्त श्री सिंह की अभिरक्षा में कुल 65050 नगद, 3 अदद इस्तेमाल में आ रहे मोबाइल फोन भी बरामद हुए।
7. रेल टिकट का अवैध कारोबार का जुर्म बखूबी बनता पाकर रेलवे अधिनियम की धारा-143 के जुर्म से केंद्र संचालक को अवगत कराते हुए समक्ष गवाहन समय करीब 12/15 बजे हिरासत में लिया गया एवं आगे की कानूनी कार्यवाही एवं जांच हेतु समस्त अभिलेखों, टिकट एवं फर्द में अंकित अन्य बरामद सामग्री सहित प्रभारी निरीक्षक/रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट को सुपुर्द कर दिया गया।
8. प्रभारी निरीक्षक द्वारा बताया गया कि केंद्र संचालक के विरुद्ध रेलवे एक्ट धारा 143 में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय भेजा गया। इस प्रकार केंद्र संचालक द्वारा अपने एग्रीमेंट के शर्तों का घोर उल्लंघन किया जाना पाया गया जिससे कि रेलवे की छवि भी धूमिल हुयी है। इस सम्बन्ध में मंडल को उक्त यात्री टिकट सुविधा केंद्र के अनुबंध को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

इंजन हायर चार्ज की गणना में अनियमितता

जैनेन्द्र कुमार भट्ट
मुसतानि/यातायात

रेलवे बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार EOL Siding में फ्री समय समाप्त हो जाने के उपरांत Engine Hire Charge गणना नियमानुसार की जा रही है अथवा नहीं इस संबंध में एक निवारक जांच। स्टेशन स्थित गुड्स ऑफिस में किया गया। जांच के क्रम में निम्न अनियमितता पायी गयी—

1. सतर्कता जांच में पाया गया कि दिनांक 18/10/2019 से दिनांक 26/11/2020 तक की अवधि का Engine Hire Charge का Proper Accountal नहीं किया गया है एवं इस अवधि में उत्पन्न EHC जमा भी नहीं हुआ है।
2. Goods Balance Sheet के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उक्त अवधि का Engine Hire charge A स्टेशन के Goods Balance Sheet के Out standing में लेखांकित नहीं किया गया है।
3. जांच में पाया गया कि दिनांक 18/10/2019 से दिनांक 26/11/2020 तक की अवधि में लगे Engine Hire Charge के Proper Accountal करने एवं उसे clear करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न ही Accounts Department एवं न ही Commercial department द्वारा की गयी थी।
4. जांच के समय कार्यरत वाणिज्य अधीक्षक द्वारा उपर्युक्त अवधि दिनांक 18/10/2019 से दिनांक 26/11/2020 तक की EHC की गणना कर विस्तृत डाटा दिया गया जिसके अनुसार उक्त अवधि का कुल देय EHC = रु 5370404 पाया गया।
5. सतर्कता जांच के फलस्वरूप दिनांक 18/10/2019 से दिनांक 26/11/2020 तक की अवधि का, Engine Hire Charge रु 5370404 के Proper Accountal एवं Clear न होने का मामला संज्ञान में आया। Engine Hire Charge का Proper Accountal नहीं करने तथा उसे जमा कराने की समुचित कार्यवाही नहीं करने के लिए संबंधित जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध वांछित कार्यवाही हेतु तथा उक्त अवधि का Engine Hire Charge के Proper Accountal करने एवं उसे clear करने हेतु सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखा गया।



यांत्रिक कारखाना से बाहर भेजे जाने वाले सामग्री के सम्बन्ध में पायी गयी अनियमितता की जाँच

श्रवण कुमार यादव
मुसतानि/सुरक्षा

यांत्रिक कारखाना, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर में एक सतर्कता निवारक जाँच की गई। कारखाने से जो भी सामग्री Material Gate Pass पर बाहर भेजा जा रहा है उस पर कुछ शॉप के सी0 से0 इंजी0/इंचार्ज द्वारा आधा-अधूरा जानकारी भरा जा रहा है। किसी किसी गेट पास में कार्यादेश (Work order) वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया जा रहा है तथा कुछ में उक्त के स्थान पर अधिकारी के आदेश/मौखिक आदेश दर्ज किया जा रहा है।

कारखाने के मुख्य द्वार पर ड्यूटी में तैनात रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना गेट पास को चेक किये सामग्री को बाहर जाने की अनुमति दे दी जा रही है।

Material Gate Pass के कुछ महत्वपूर्ण कॉलम भरे नहीं जा रहे हैं तथा कुछ पर सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा बिना कार्यालय शील लगाए हस्ताक्षर किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है।

एक फर्म द्वारा अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग किया जाना

राकेश कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि/विद्युत

एक रेलवे यूनिट में वाह्य एजेंसी द्वारा कराये जा रहे कॉन्ट्रैक्ट कार्य की जाँच की गयी जिसमें कांट्रेक्टर द्वारा बिना अस्थाई बिजली का कनेक्शन प्राप्त किये ही रेलवे की बिजली का उपयोग सरिया काटने व निर्माण सम्बन्धी अन्य कार्यों को करने हेतु किया जाना पाया गया।

यह कार्य GCC-2019 के तहत कराया जा रहा था। GCC September-2019 Clause के पैरा 31.4 (a) के अनुसार :-

"Contractor to Arrange Supply of Electric Power for Works : Unless otherwise provided in the contract, the contractor shall be responsible for arrangements to obtain supply of Electric Power for the works"-

कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मौके पर विद्युत् आपूर्ति हेतु डी.जी.सेट की व्यवस्था भी नहीं की गयी थी। जाँच में फर्म द्वारा कार्य करने हेतु अवैध तरीके से रेल बिजली का उपयोग किया जाना पाया गया। कॉन्ट्रैक्टर से पूछे जाने पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि उन्होंने अस्थाई बिजली का कनेक्शन हेतु आवेदन भी नहीं किया था। उपरोक्त कार्य के सुपरविजन के लिए नियुक्त रेल सुपरवाइजर भी अवैध तरीके से रेल बिजली का उपयोग किया जाना संज्ञान में नहीं ले पाए। इसके लिए फर्म के खिलाफ बिजली बिल की कटौती हेतु सम्बन्धित अधिकारी को पत्र लिखा गया एवं लापरवाही पूर्वक सुपरविजन कार्य करने के लिए दोषी रेलवे सुपरवाइजर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की सतर्कता विभाग द्वारा अनुशंसा की गयी।

सामग्री लेजर का न बनाया जाना

राकेश कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि/विद्युत

निर्माण विभाग की एक यूनिट में सामग्रियों के भण्डारण और रख-रखाव को संज्ञान में लेकर एक सतर्कता निवारक जाँच किया गया। जाँच में पाया गया की सी.से.ई. द्वारा 1641 मीटर HT 11KV 3CORE 240Sq-mm केबिल दूसरे यूनिट से वे बिल के माध्यम से प्राप्त की गयी थी। सी.से.ई. द्वारा अपने बयान में बताया कि उक्त केबिल NS हेतु जारी ज्ञापन से सम्बन्धित कार्य हेतु ली गयी है परंतु जाँच करने पर उक्त बातों की पुष्टि नहीं हुई। केबिल की कीमत रु 1187.00 प्रति मीटर के हिसाब से $1641 \times 1187 = \text{रु } 1947867/-$ होती है। प्राप्त व जारी किये गए सामग्री का विवरण जाँच करने पर यह बात प्रकाश में आयी कि सामग्रियों का लेखांकन हेतु कोई भी लेजर डिपो इन्चार्ज द्वारा नहीं बनाया गया है। जिसकी वजह से स्टोर में भण्डारण की गयी सामग्री एवं उनकी मात्रा, प्राप्त एवं जारी तथा शेष बची सामग्रियों एवं मात्रा का आंकलन करना सम्भव नहीं हो पाया। उपरोक्त अनियमितता के लिए सी.से.ई. के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी।



“The world has enough for everyone's needs,
but not enough for everyone's greed.”-

“Mahatma Gandhi”

फेक चिकित्सा रियायत फार्मों के रोकथाम के संबंध में

ओम प्रकाश सिंह
मुसतानि/यातायात

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे पर यात्रा करने वाला यात्री एक अदद आरक्षित टिकट की चाहत रखता है जिससे कि उसकी यात्रा बिना किसी असुविधा के पूरी हो सके। इसी चाहत को पूरा करने के उद्देश्य से यात्री आरक्षित टिकट की प्राप्ति हेतु आरक्षण कार्यालय का रुख करता है। समय से कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाने के कारण यात्री तत्काल टिकट की चाहत से यात्रा के एक दिन पूर्व आरक्षण कार्यालय की तरफ आकर्षित होता है एवं कतिपय दलालों या गलत आरक्षण लिपिकों के चंगुल में पड़ जाता है और दलालों या गलत आरक्षण लिपिकों के द्वारा फेक चिकित्सा रियायत फार्मों पर गलत तरीके से यात्री को गाड़ी में यात्रा करने हेतु आरक्षित टिकट उपलब्ध करा दिया जाता है। इस प्रकार फेक चिकित्सा रियायत फार्मों पर प्राप्त किये जाने वाले आरक्षित टिकटों के रोकथाम हेतु विगत वर्ष कई आरक्षण कार्यालयों में चिकित्सा रियायत फार्मों की जाँच की गयी। यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों के हित में किये गये जाँच का जिक्र किया जा रहा है जिससे कि सभी लाभान्वित हो सके।

सतर्कता दल द्वारा दिनांक 03/11/2022 को एक स्टेशन A पर स्थित आरक्षण कार्यालय में उपलब्ध माह अक्टूबर/2022 के चिकित्सा रियायत फार्मों एवं उनसे संबंधित सभी डेली समरी ऑफ कंसेशन बाउचर की जांच की गई जिसमें से कुल 13 Concession Certificate मौके पर मिसिंग पाये गये। सतर्कता दल द्वारा प्रभारी वाणिज्य अधीक्षक को उक्त मिसिंग Concession Certificate को मौके पर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया लेकिन वह उक्त मिसिंग Concession Certificate को जांच हेतु प्रस्तुत करने में असफल रहे। इस प्रकार उक्त माह के सभी डेली समरी ऑफ कंसेशन बाउचर की जांच में पाया गया कि दिनांक 24/10/2022 को जिन चिकित्सा रियायत फार्मों पर आरक्षित कन्सेशन टिकटों को जारी किया गया था उनमें से एक चिकित्सा रियायत फार्म उक्त कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

जाँच में उक्त आरक्षण कार्यालय के एक आरक्षण लिपिक B के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 24/10/2022 को बिना कैंसर चिकित्सा रियायत फार्म के ही पी.एन.आर संख्या C के अंतर्गत एक यात्री D का तृतीय वातानुकूलित श्रेणी कोच में E स्टेशन से A स्टेशन के लिए यात्रा तिथि F के लिए आरक्षित कन्सेशन टिकट जारी किया गया था। आरक्षण लिपिक B द्वारा बताया गया कि स्वयं उनके द्वारा उक्त टिकट से संबंधित कैंसर चिकित्सा रियायत फार्म को टिकट जारी करने के तिथि से लगभग एक सप्ताह बाद आरक्षण कार्यालय में रखे हुए चिकित्सा रियायत फार्मों के बंडल में बिना किसी कर्मचारी या वाणिज्य अधीक्षक को बताये लाकर रख दिया गया था। उक्त चिकित्सा रियायत फार्म एक प्रतिष्ठित कैंसर चिकित्सालय का है जो कि जनपद G में स्थित है, के नाम से जारी किया गया था।

इसी बीच मध्य रेलवे के सतर्कता दल द्वारा दिनांक 27/10/2022 को गाड़ी संख्या G की जाँच की गयी। जिसमें सतर्कता दल द्वारा उपरोक्त यात्री D को उपरोक्त आरक्षित कन्सेशन टिकट पर तृतीय वातानुकूलित श्रेणी कोच में शायिका संख्या 17 पर E स्टेशन से A स्टेशन के लिए यात्रा करते हुए पाया गया। जांच के दौरान मौके पर उक्त यात्री द्वारा सतर्कता दल के समक्ष कैंसर रोग से संबंधित कोई पर्ची या कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण सतर्कता दल द्वारा उक्त यात्री को बिना टिकट मानते हुए EFT संख्या 0320864 के अंतर्गत रुपया 2740 की E स्टेशन से A स्टेशन की चार्जिंग करायी गयी। इस प्रकार आरक्षण लिपिक B की गलती से उत्पन्न हुई रेल राजस्व की हानि रुपया 2740 को

सतर्कता दल द्वारा उक्त यात्री की चार्जिंग कराकर बचा लिया गया। इस प्रकार जांच में पायी गयी अनियमितता के अनुसार आरक्षण लिपिक B की कार्यप्रणाली संदिग्ध पायी गयी उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में इसके लिए उन्हें दीर्घदण्ड आरोप पत्र जारी करने की एवं उनका स्थानांतर किसी दूसरे स्टेशन पर किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

सतर्कता दल द्वारा उपरोक्त आरक्षण कार्यालय से प्राप्त किये गये समस्त कैंसर चिकित्सा रियायत फार्मों की गहनता से जांच की गयी। जांच में सभी कैंसर चिकित्सा रियायत फार्म संदेहास्पद लगे। जिसके कारण सतर्कता कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के द्वारा उक्त सभी कैंसर चिकित्सा रियायत फार्मों की छाया प्रतियों संबंधित चिकित्सालय के ऑफिसर इन चार्ज को उनके सत्यता की पुष्टि हेतु डाक के माध्यम से भेजा गया।

संबंधित चिकित्सालय के सहायक प्रबंधक द्वारा दिनांक H को अपने पत्र के माध्यम से सतर्कता विभाग को अवगत कराया गया कि उपरोक्त कोई भी कैंसर चिकित्सा रियायत फार्म उनके चिकित्सालय से जारी नहीं किये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त कैंसर चिकित्सा रियायत फार्म फेंक पाये गये और उक्त आरक्षण कार्यालय में कार्यरत आरक्षण लिपिकों के द्वारा उपरोक्त फेंक कैंसर चिकित्सा रियायत फार्मों पर आरक्षित कन्शेसन टिकटों को जारी किया गया था, जिसके पेल राजस्व में रुपया 43078.00 की हानि उत्पन्न हुई थी। जिसके परिणाम स्वरूप सतर्कता कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा रेल राजस्व में रुपया 43078.00 की हानि को पूरा करने के लिए उक्त कर्मचारियों के संबंधित मंडल कार्यालय को उन आरक्षण लिपिकों से नियमानुसार रिकवरी करने की अनुशंसा की गयी है एवं उक्त मिसिंग Concession Certificates के लिए जिम्मेदार कुल 07 बुकिंग कर्मचारियों को लघुदण्ड आरोप पत्र जारी करने किये जाने की अनुशंसा की गयी है।



व्यक्ति से जुड़ी तमाम धन-सम्पत्तियों में
कोई भी चरित्र से ज्यादा मूल्यवान नहीं है।

आरक्षण लिपिक द्वारा कारित अनियमितता

गिरिजेश प्रताप सिंह
मुसतानि/यातायात

दिनांक 12.04.2023 को स्टेशन 'क' स्थित आरक्षण कार्यालय में की गई सतर्कता निवारक जांच में आरक्षण लिपिक द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान में निम्नलिखित अनियमितताएं कारित की गई—

1. स्लीपर श्रेणी का तत्काल आरक्षण हेतु लगी हुई पंक्ति में चार आवेदक खड़े हुए मिले। उक्त चार आवेदकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी आवेदक टिकट निर्गत करवाने हेतु उपस्थित नहीं था। स्लीपर श्रेणी का तत्काल आरक्षण शुरू होने के पूर्व यह देखा गया कि आरक्षण लिपिक द्वारा सभी उपस्थित आवेदकों का आरक्षण मांग पत्र एवं उनके टिकट की राशि एक साथ ही लेकर अपने पास ही रख लिया गया।
2. आरक्षण लिपिक द्वारा अपने सिस्टम पर टिकट तो जारी किया जा रहा था परन्तु उस टिकट को प्रिंट करके आवेदकों को दिया नहीं जा रहा था। आरक्षण लिपिक से उनके द्वारा स्लीपर श्रेणी के तत्काल आरक्षण में जारी हुए टिकटों के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि कुल सात टिकट जारी हुए हैं। उनसे प्रिंटर ऑन करके सभी जारी हुए सातों टिकटों को प्रिंट करने के लिए कहा गया। तत्पश्चात आरक्षण लिपिक ने जारी हुए सभी सात टिकटों को एक साथ प्रिंट किया।
3. चारों आवेदकों के चार टिकटों के अतिरिक्त तीन टिकट और भी आरक्षण लिपिक की अभिरक्षा में मिले जिनके सापेक्ष कोई आवेदक उपस्थित नहीं था। क्रम सं 1 पर खड़े आवेदक जो सुबह 4:00 बजे से क्रम सं 1 पर ही खड़े थे उनका टिकट आरक्षण लिपिक ने क्रम सं 3 पर जारी किया।
4. इस प्रकार आरक्षण लिपिक द्वारा क्रम सं 1, 2 एवं 4 पर जारी किये गए टिकट उनके द्वारा आरक्षित टिकटों की दलाली के उद्देश्य से बिना किसी आवेदक के एवं बिना टिकट का मूल्य लिए बिना जारी किये गए थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने टिकट जारी करते समय अपना प्रिंटर बंद कर दिया था ताकि सामने पंक्ति में खड़े आवेदकों को कितने व किसके टिकट जारी हुए हैं यह पता न चले और इसी लिए आरक्षण लिपिक ने सबसे पहले अपने दलाली वाले टिकटों को जारी किया तथा पंक्ति में खड़े आवेदकों की प्राथमिकता को भी नजर अंदाज किया। आरक्षण लिपिक ने बिना आवेदक के उपस्थित हुए एवं बिना टिकट का मूल्य रेल राजस्व में जमा किये ही ये तीनों टिकट जारी किये थे जो उनकी आरक्षित टिकटों की दलाली को पुष्ट करता है। किसी रेल सेवक द्वारा आरक्षित टिकटों की दलाली करना/करवाना रेल की छवि को धूमिल करता है।
5. जांच के क्रम में आरक्षण लिपिक के सरकारी धन में 9450 की कमी मिली। इस प्रकार उनके द्वारा IRCM Vol 1 के पैरा 101 का उल्लंघन किया गया।
6. अतः आरक्षण लिपिक का उपरोक्त कृत्य उनकी सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता को संदिग्ध बनाते हैं, जिसके लिए उक्त आरोपित कर्मचारी को दीर्घदण्ड देने की अनुशंसा की गयी है।

"Be vigilant; guard your mind
against negative thoughts"

-Gautama Buddha

एक अनुबंध के अंतर्गत वास्तविक कार्य से अधिक का भुगतान किया जाना

अतुल कुमार श्रीवास्तव
(मुसतानि/इंजीनियरिंग)

एक सतर्कता जांच में एक अनुबंध के अंतर्गत किये गये ट्रैक लिंकिंग कार्य से अधिक मात्रा का भुगतान पाया गया एवं इस अनुबंध में टाई टेम्पिंग मशीन के लिए जारी कि ये डीजल की मात्रा से अधिक का भुगतान किया गया था। जांच में पाया गया कि एक अनुबंध के अंतर्गत नये स्थल पर ट्रैक लिंकिंग कार्यों को कराये जाना से पूर्व संबंधित सीसेइंजी/पीवे द्वारा स्थल पर कोई चैनेज मार्किंग नहीं किया गया है। पारित रनिंग बिलो से संबंधित मापी पुस्तिका में रिकार्ड माप में सेक्शन के अलग-अलग स्थानों पर कराये गये ट्रैक लिंकिंग कार्य को दो या दो से अधिक बार भुगतान हेतु दर्ज किया जाना पाया गया एवं स्थल पर किये गये वास्तविक ट्रैक लिंकिंग कार्य के अनुसार, 4430 मीटर ट्रैक लिंकिंग कार्य की अतिरिक्त मात्रा का भुगतान किया गया एवं अनुबंध में वर्णित दर के अनुसार, रु. 8,71,292.40/- का अधिक भुगतान एजेंसी को किया गया। इस अनुबंध के अंतर्गत, इस सेक्शन में टाई टेम्पिंग मशीन के प्रयोग के लिए एंजेसी से डीजल की आपूर्ति ली गयी परन्तु डीजल की मात्रा को पी.वे रजिस्टर एवं लेजर में लेखांकन नहीं किया गया है एवं नही इसका कोई सेल इनवाइस उपलब्ध पाया गया है। सम्बंधित सीसेइंजी/पीवे ने मापी पुस्तिका में 14800 लीटर डीजल की आपूर्ति की मात्रा दर्ज की गयी है जिसका एजेंसी को पारित रनिंग बिलो में भुगतान किया गया परन्तु इस सेक्शन में कराये गये टाई टेम्पिंग कार्य से संबंधित सीसेइंजी/टैक मशीन/गोरखपुर ने डीजल की वास्तविक खपत को रिकार्ड किया गया है, जिसके अनुसार, इस कार्य में केवल 8200 लीटर डीजल का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार 8400 लीटर का अतिरिक्त भुगतान एजेंसी को किया गया है एवं अनुबंध में वर्णित दर के अनुसार, एजेंसी को रु 7,39,368/- का अवांछित लाभ दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त जांच में अनियमितता पाए जाने के पश्चात तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं किये गये अधिक भुगतान की कटौती किये जाने की अनुशंसा की गयी है।



USSOR 2012 मद में एमएस जाली के निर्धारित वजन से कम वजन की प्रयोग करके एजेंसी को लाभ पहुंचाया गया

अतुल कुमार श्रीवास्तव
(मुसतानि/इंजीनियरिंग)

एक सतर्कता जांच में पाया गया कि एक सेक्शन में Soil Slope Protection कार्य हेतु कराये गए शॉट क्रीटिंग कार्य में प्रयुक्त एमएस जाली का भुगतान संबंधित सीसेइंजी/कार्य द्वारा USSOR 2012 के मद संख्या 241021 के अंतर्गत किया जा रहा था। USSOR 2012 के चैप्टर 24:-फेंसिंग और बाउंड्री वर्क में वर्णित उक्त मद संख्या 241021 के अनुसार, आपूर्ति की गयी MS जाली (75mm, 25mm साइज) का वजन 7.75 Kg/sqm (दर रु 342.76 प्रति वर्ग मीटर) से अधिक होना चाहिए। USSOR 2012 के मानक विशिष्टियों के अनुसार, फेंसिंग और बाउंड्री वर्क में प्रयुक्त MS जाली साइज को IS: 4948 के अनुसार होना चाहिए एवं IS: 4948 के अनुसार, 75mm X 25mm साइज की MS जाली के वायर का व्यास 5 mm होना चाहिए। सतर्कता जांच में पाया गया कि शॉट क्रीटिंग कार्य में प्रयुक्त MS जाली (75mm 25mm) के वायर का व्यास 2mm पाया गया एवं इस MS जाली का वजन 1.35Kg/sqm है। संबंधित सीसेइंजी/कार्य द्वारा इस शॉट क्रीटिंग कार्य में 2mm मोटी MS जाली का प्रयोग करते हुए प्रति वर्ग मीटर 6.40 Kg का अधिक भुगतान किया गया है एवं 1959.75 वर्ग मीटर MS जाली आपूर्ति का भुगतान में रु 5,54,713/- का अतिरिक्त लाभ एजेंसी को दिया गया।

इस प्रकार उपरोक्त जांच में अनियमितता पाए जाने के पश्चात तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सम्बंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं किये गये अधिक भुगतान की कटौती किये जाने की अनुशंसा की गयी है।



आरसीसी बाउण्ड्रीवाल की जांच में प्राप्त अनियमिततायें

अरुण कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि/इंजीनियरिंग

पूर्वोत्तर रेलवे के एक सेक्शन में ट्रैक पर जानवरों के आवागमन को रोकने के लिए प्रीकास्ट आर.सी.सी. कॉलम तथा पैनलों से रेलवे बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया है। प्रीकास्ट आर.सी.सी. कॉलम तथा पैनलों की कास्टिंग रेलवे परिसर में आर.डी.एस.ओ. ड्राइंग सं. RDSO/WKS/2019/03 के अनुसार की गयी है। इस आरडीएसओ ड्राइंग के अनुसार, इस कार्य में M25 ग्रेड कंक्रीट के प्रीकास्ट कॉलम एवं प्रीकास्ट पैनल का प्रयोग होना है एवं प्रत्येक 30 मीटर लंबी बाउंड्री वाल में 2-2 मीटर की दूरी पर एक प्रीकास्ट कॉलम लगाये जाने हैं एवं दो प्रीकास्ट कॉलमों के मध्य तीन प्रीकास्ट पैनल लगाये जाने हैं। प्रीकास्ट कॉलम की ऊंचाई 2700 मिमी तथा क्रॉस सेक्शन एरिया 200x200 मिमी होनी चाहिये एवं प्रीकास्ट पैनल की लम्बाई 1890 मिमी, चौड़ाई 350 मिमी व मोटाई 50 मिमी होनी चाहिये। आरडीएसओ ड्राइंग सं. RDSO/WKS/2019/03 के अनुसार, सभी कॉलम को नीचे एक पीसीसी (1:2:4) फाउंडेशन बेस (500 मिमी डाय का सर्कुलर फाउंडेशन) में ग्राउट किया जाना है जो कॉलम के बॉटम से 150 mm नीचे एवं कॉलम के बॉटम से 600 मिमी ऊँचाई तक होगा एवं इस फाउंडेशन बेस में प्रीकास्ट कॉलम को दो 20 mm डाय डॉवेल रेनफोर्समेंट बार के साथ ग्राउट किया जायेगा। इस आर.डी.एस.ओ. ड्राइंग सं. RDSO/WKS/2019/03 के अनुसार, इन कॉलमों में 10 मिमी डाय के 4 मेन रेनफोर्समेंट सरिया एवं 8 मिमी डाय के कुल 19 नग रेनफोर्समेंट Stirrups (150 मिमी सेंटर से सेंटर की दूरी पर) लगाये जाने हैं एवं प्रत्येक पैनल में 8 मिमी डाय के दो नग मेन रेनफोर्समेंट बार तथा 8 mm डाय की 13 नग डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बार लगाई जानी है। इस बाउंड्री वाल कार्य की जांच में निम्न अनियमितताएं पाई गयीं—

- इस बाउंड्रीवाल में आरसीसी कॉलमों के फाउंडेशन कार्य में ड्राइंग का अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि आरसीसी कॉलमों में कोई डॉवेल रेनफोर्समेंट बार नहीं डाले गए थे एवं आरसीसी कॉलमों को फिक्स नहीं किया गया है। जांच में पाया गया कि 1150 आरसीसी कॉलमों के फाउंडेशन कार्य में सी.सी. के अतिरिक्त मात्रा 50.84 मी³ का भुगतान किया गया एवं कॉलमों के फाउंडेशन के भुगतान में सीसी कार्य की माप में आरसीसी कॉलम (M25 ग्रेड कॉलमों का भुगतान दुसरे मद में किया गया है) की माप नहीं घटाया गया जिसके कारण 16.10 घन मी. का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इस प्रकार इस कार्य में कुल 66.94 मी³ कंक्रीट का अधिक भुगतान किया गया। इन 1150 आरसीसी कॉलमों का फाउंडेशन कार्य में अनुबंध में वर्णित दर (रु 2151.17 प्रति घन मी.) के अनुसार, कुल रु 1,43,999.32/- का अतिरिक्त भुगतान होना प्रदर्शित होता है।
- सतर्कता जांच से पूर्व पारित रनिंग बिलों में 1550 कॉलमों में लगाए गए stirrups का भुगतान 19 stirrups प्रति कॉलम के अनुसार किया गया था परन्तु सतर्कता जांच के क्रम में इन सभी 1550 कॉलमों में केवल 5-6 stirrups लगाए जाने की पुष्टि हुई है। कम stirrups लगाए जाने के कारण इन 1550 कॉलमों में 6725.46 किग्रा की अतिरिक्त मात्रा stirrups का भुगतान किया गया है जोकि अनुबंध में वर्णित दर (रु 47.34 प्रति किग्रा) के अनुसार इसमें रु 3,18,383.27/- का अतिरिक्त भुगतान होना प्रदर्शित होता है।
- सतर्कता जांच से पूर्व पारित रनिंग बिलों में 3021 पैनलों में लगाए गए डिस्ट्रीब्यूशन बार का भुगतान 13 डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रति पैनल के अनुसार किया गया था परन्तु सतर्कता जांच के क्रम में इन सभी 3021 पैनलों में केवल 7-9 डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाए जाने की पुष्टि हुई है। कम डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाए जाने के कारण इन 3021 पैनलों में 1751.79 किग्रा की अतिरिक्त मात्रा डिस्ट्रीब्यूशन बार का भुगतान किया गया है जोकि अनुबंध में वर्णित दर (रु 47.34 प्रति किग्रा) के अनुसार इसमें रु 82,929.74/- का अतिरिक्त भुगतान होना प्रदर्शित होता है।

उपरोक्त जांच में अनियमितता पाए जाने के पश्चात, इस कार्य से संबंधित रेलवे स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।

BASE ASSEMBLY को क्रय तथा स्क्रेप करने से सम्बंधित सतर्कता जाँच

श्री विनोद चंद्र यादव
मुसतानि/भंडार

पूर्वोत्तर रेलवे के एक यूनिट में भंडार विभाग द्वारा IREPS पोर्टल पर Base assembly को खरीदने के लिए जारी क्रयादेश को संज्ञान में लेकर सतर्कता निवारक जांच किया गया। सतर्कता जांच में क्रयादेश जारी करने से लेकर सामग्री के अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा सामग्री के उपयोग की जांच किया गया। Base assembly का उपयोग Electric Point Machine (EPM) बनाने में किया जाता है। जांच में पाया गया कि Electric Point Machine (EPM) को जब स्क्रेप किया जाता है तो EPM में लगी Base assembly को निकालकर पुनः रेलवे में Supply किया जा सकता है। जांच में यह भी पाया गया कि आपूर्ति की जा रही Base assembly पर फर्म का Identification Mark और Mfg-Year अंकित नहीं किया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर स्क्रेप Electric Point Machine (EPM) में लगे Base assembly पर गहरा cut mark बनाकर स्क्रेप लॉट बनाने और क्रयादेश में सामग्री पर Identification Mark और Mfg-Year अंकित करने का निर्देश जारी करने के लिए 'System Improvement' जारी किया गया।

IRREGULARITIES REGARDING IMPOSING OF GD (GENERAL DAMAGE)

S.N. Singh
CVI/Store

During a course of preventive checks in some tender cases, it is observed that GD was imposed on the defaulting firms which had failed to supply the material. It is further observed that these financial recoveries are found pending since a long time. During investigation, it is found that wrong cancellation advice (online mode) was by selecting SD option instead of "with GD option" and since the firms were exempted from submitting SD money, the compliance of such recoveries is very poor. No chasing was later done by store department regarding compliance of such recoveries. Hence, it is directed to all purchase units to issue correct cancellation advice. Also, it is to be ensured to maintain one common record register of such issued recoveries under section in charge and its compliance to be chased from concerned account office, time to time.

भ्रष्टाचार के अपराध का सह अपराधी अक्सर
हमारी खुद की उदासीनता होती है!!

— बेस मायरसन

विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने में प्राप्त अनियमितता के संबंध में

आलोक कुमार त्रिपाठी
मुसतानि/सिंग. एवं दू.सं

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में 06 क्वाड केबल की मरम्मत हेतु जारी निविदा के विस्तृत प्राक्कलन की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उक्त निविदा में कुल 08 मद थे जिनके औसत दर की गणना हेतु अधिकतम 02 दरों का ही औसत लिया गया था तथा उक्त दरों को लिए जाने हेतु कोई प्राथमिकता यथा न्यूनतम एवं अद्यतन दर, उस मंडल से ही संबंधित दर इत्यादि तय नहीं किया गया। संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक ही प्राक्कलन में उपलब्ध कुछ मदों की दरों को औसत दर की गणना हेतु लिया गया था, जबकि अन्य को छोड़ दिया गया था। औसत दर की गणना हेतु लिए गए प्राक्कलन में एक मद की वास्तविक दर रु.1467.40 थी जबकि रु. 1420.78 की दर लिया गया था जो किसी भी प्राक्कलन उपलब्ध नहीं था। विस्तृत प्राक्कलन के एक मद Excavation of cable trench के औसत दर के गणना हेतु लिया गया दर level/track crossing and platform से संबंधित था, जो भिन्न मद था तथा जिसकी दर भी सभी प्राक्कलन में सबसे ज्यादा थी, अतः औसत मूल्य भी ज्यादा प्राप्त हुआ जबकि उक्त मंडल के ही एक अन्य अद्यतन प्राक्कलन में ही न्यूनतम दर उपलब्ध होते हुए भी उसकी अनदेखी किया गया था। सतर्कता जांच में यह भी पाया गया कि विस्तृत प्राक्कलन के मद Work pertaining to HDD (50/63mm) हेतु औसत दर की गणना किया जाना था किन्तु अन्य प्राक्कलन में न्यूनतम एवं अद्यतन दर उपलब्ध होने के बाद भी Work pertaining to HDD (120 mm)का दर लिया गया जो उच्चतम दर था या। इसी प्रकार कुछ अन्य मदों की भी उस मंडल में ही न्यूनतम एवं अद्यतन दर उपलब्ध होने के बाद भी अन्य प्राक्कलन में उपलब्ध अधिक दरों को प्राथमिकता दिया गया जो उचित नहीं था। निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किसी भी स्तर पर उक्त अनियमितताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिससे मदों के औसत दर में वृद्धि हुई तथा आमंत्रित निविदा के मूल्य में भी लगभग रु 22,03,418.08 की बढ़ोत्तरी हुई। उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत सतर्कता विभाग द्वारा संबंधित वरिष्ठ खंड अभियंताओं तथा वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/लेखा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा किया गया तथा निविदा कार्य से जुड़े अधिकारियों की काउंसलिंग कराई गई।



सिग्नल स्टोर में प्राप्त अनियमितता के संबंध में

आलोक कुमार त्रिपाठी
मुसतानि/सिग. एवं दू.सं

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में RFID मार्कर के आपूर्ति एवं स्थापना को संज्ञान में लेकर किये गए सतर्कता निवारक जांच में यह पाया गया कि एक करारनामा के अंतर्गत कुल 500 अदद RFID मार्कर का प्रावधान था जिसकी आपूर्ति फर्म द्वारा किया गया था। विभागीय खाता के अनुसार फर्म को कुल 427 अदद RFID जारी किया गया था किन्तु तत्कालीन सीसेइं द्वारा बताया गया कि उनके कार्यकाल में मात्र 121 अदद RFID ही जारी किये गए थे तथा मापन पुस्तिका के अनुसार मात्र 121 अदद RFID के स्थापना का भुगतान भी किया गया था। जांच में यह पाया गया कि स्टोर में उपलब्ध सभी विभागीय खाता उचित अवस्था में थे जिन पर कवर एवं इंडेक्स पेज लगा था, मात्र उक्त विभागीय खाता ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। जिस पेज पर RFID का अंकन हुआ था वह अन्य पेज से छोटा था तथा पेज पर किया गया अंकन भी अन्य पेज से भिन्न था इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी यह स्पष्ट हो रहा था कि विभागीय खाता (लेजर बैलेंस) को प्रत्यक्ष शेष (ग्राउंड बैलेंस) के बराबर रखने हेतु विभागीय खाता का पेज बदलकर तत्कालीन सीसेइं के स्थानांतरण के पश्चात RFID का अंकन बाद में किया गया था। जांच के क्रम में यह पाया गया कि तत्कालीन सीसेइं/इंचार्ज द्वारा कार्यालय अधीक्षक के कर्तव्यों (स्टोर एवं स्थापना) का आदान प्रदान एक जेई के साथ किया गया था, किन्तु विभागीय खाता एवं प्रत्यक्ष शेष का मिलान नहीं किया गया और न ही विभागीय खाता के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर किया गया था। जेई द्वारा भी एक अन्य सीसेइं के साथ कार्यालय अधीक्षक के कर्तव्यों (स्टोर एवं स्थापना) का आदान प्रदान किया गया था। किन्तु विभागीय खाता एवं प्रत्यक्ष शेष का मिलान कर विभागीय खाता के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। तत्कालीन सीसेइं/इंचार्ज द्वारा भी स्थानांतरण के उपरांत न तो नए सीसेइं/इंचार्ज के साथ विभागीय खाता एवं प्रत्यक्ष शेष का मिलान किया गया और न ही IRSEM के पैरा 3.5.7 (C) "The relieving SSE incharge shall examine all office records and ledgers and initial them with date-" का अनुपालन सुनिश्चित किया गया था। DMTR की जांच में भी यह पाया गया कि दो दिनांक के बीच में जगह खाली छोड़ी जा रही थी तथा DMTR से ledger में मदों को उचित रूप से लगातार अद्यतन नहीं किया जा रहा था। उपरोक्त कारणों से DMTR में बाद में मदों का अंकन संभव हुआ तथा स्टोर में उपलब्ध RFID की संख्या के अनुसार विभागीय खाता में हेर-फेर किया गया। इस प्रकार RFID मार्कर के भौतिक सत्यापन में लगभग 200 अदद मार्कर कम प्राप्त हुए जिसका निविदा मूल्य लगभग 5,00,000 था।

उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत सतर्कता विभाग द्वारा संबंधित वरिष्ठ खंड अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा किया गया तथा स्टोर में पुनः जांच कर गायब हुए RFID के मूल्य की भरपाई किये जाने के संबंध में मंडल के वरिष्ठ सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर को निर्देशित किया गया।

भ्रष्टाचार बर्फ के गोले के सामान है,
एक बार ये लुढ़कने लगता है तो बढ़ता ही जाता है
(Charles Caleb Colton)

यांत्रिक कारखाना में करारनामा के तहत कराये जा रहे कार्य "REFURBISHMENT OF ICF COACHES" के गुणवत्ता मॉनिटरिंगमें पायी गयी अनियमितताएं

डी.सी. यादव
मुसतानि/यांत्रिक

यांत्रिक कारखाना में करारनामा के तहत "Refurbishment of ICF coaches" का कार्य होने के उपरांत कोचिंग डिपो में प्राप्त यानों के गुणवत्ता मॉनिटरिंग निम्न अनियमितताएं पायी गयी –

- ♦ जांच के समय यांत्रिक कारखाना से Refurbished हुए यानों की वारंटी अवधि में Refurbishment के दौरान लगाए गए मदों में प्राप्त कमियों का कोई रिकॉर्ड उपयोगकर्ता कोचिंग डिपो में उपलब्ध नहीं पाया गया जिसके अभाव में Refurbishment के दौरान किये गये कार्य में Warranty period के दौरान पायी जाने वाली कमियों हेतु Warranty claim नहीं किया जा सकता है। कोचिंग डिपो में यांत्रिक कारखाना से प्राप्त किसी भी Refurbished यान में कमी हेतु वारंटी क्लेम किया जाना नहीं पाया गया।
- ♦ यांत्रिक कारखाना द्वारा किये गये Refurbished यानों का यूजर डिपो द्वारा गुणवत्ता संबंधी फीडबैक Mechanism न होने के कारण इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से किया जाना संभव नहीं है।
- ♦ यांत्रिक कारखाना से Refurbished हुए यानों में Refurbishment के दौरान लगाए गए मदों में प्राप्त कमियों का रिकॉर्ड उपयोगकर्ता कोचिंग डिपो द्वारा बनाया जाना सुनिश्चित कराया जाय तथा Refurbished यानों की वारंटी क्लेम हेतु यूजर डिपो द्वारा संबंधित कारखाने के साथ Joint checking का सिस्टम बनाया जाय।
- ♦ यूजर डिपो द्वारा गुणवत्ता संबंधी फीडबैक Mechanism बनाया जाय जिससे संबंधित कारखाने को Refurbished Items में प्राप्त कमियों के संबंध में सूचित किया जा सके।

उक्त कमियों के लिए जिम्मेदार पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा सतर्कता विभाग द्वारा की गयी। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु एक 'System Improvement' की अनुशंसा की गयी।



करारनामा के तहत कराये जा रहे DE-WHEELING / STRIPPING कार्य में पायी गयी अनियमितताएं

अभय कुमार सिंह
मुसतानि/यांत्रिक

एक यांत्रिक कारखाना में बाह्य एजेंसी द्वारा कराये जा रहे यानों के De-wheeling/stripping कार्य को संज्ञान में लेकर की गयी सतर्कता जांच में निम्न कमियां पायी गयी:-

- करारनामा की प्रति शॉप फ्लोर पर उपलब्ध नहीं पायी गयी तथा आउटसोर्सिंग कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे पर्यवेक्षकों में करारनामे के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं पायी गयी।
- फर्म कर्मचारियों की उपस्थिति रिकॉर्ड नियमित रूप से नहीं बनाया जाना पाया गया तथा फर्म द्वारा श्रमिक कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया विवरण, उपस्थिति पंजिका में दर्शाये गये विवरण से भिन्न पाया गया।
- फर्म द्वारा करारनामा के अनुसार कार्य की मॉनिटरिंग हेतु टेक्निकल स्टाफ का deployment किया जाना नहीं पाया गया एवं फर्म कर्मचारियों का भुगतान बैंक के माध्यम से नहीं किया जाना पाया गया।

उक्त कमियों के लिए फर्म के विरुद्ध करारनामा के अनुसार कार्यवाही की गयी तथा जिम्मेदार पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा सतर्कता विभाग द्वारा की गयी। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु एक 'System Improvement' की अनुशंसा भी की गयी।

"A hundred times everyday, I
remind myself that my inner
and outer life depended on
the labours of other men,
living and dead, and that I
must exert myself in order to
give in the same measure as I
have received and as still receiving."

- Albert Einstein

ट्रेनों में यात्रियों दिए जाने वाले कम्बल की गुणवत्ता जांच में पायी गयी अनियमितताएं

अभय कुमार सिंह
मुसतानि/यांत्रिक

एक मैकेनाइज्ड लांड्री में यात्रियों को यात्रा के दौरान दिए जाने वाले कम्बल की गुणवत्ता जांच में निम्न कमियां पायी गयी :-

- जांच में ट्रेन यात्रियों को उपलब्ध कराये गये कुछ कम्बल रेल द्वारा सप्लाई किये गए कम्बल से भिन्न पाए गए। फर्म द्वारा कम्बल की कमी पूरी करने के लिए बिना रेलवे पर्यवेक्षक के संज्ञान में लाये बाजार से प्राप्त नॉन रेलवे सप्लाई वाले कम्बल को ट्रेन में यात्रियों के उपयोग हेतु सर्कुलेट किया जाना पाया गया।
- जांच में फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गए कम्बल के corner पर रेलवे सप्लाई कम्बल की तरह 'IR' mark नहीं पाया गया तथा ये कम्बल रेलवे सप्लाई वाले कम्बल से वजन में हल्के पाए गए।
- मैकेनाइज्ड लांड्री में कम्बलों की सफाई हेतु sorting करने के लिये नामित रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपना कार्य पूर्ण सजगता से नहीं किये जाने के कारण उक्त कम्बल ट्रेन सप्लाई में सर्कुलेट कर दिए गए।
- रेलवे सप्लाई वाले कम्बल में उनके धुलाई से संबंधित कोई भी जानकारी (धुलाई की तिथि, स्थान आदि) उपलब्ध नहीं होती है, जिसके निदान हेतु सिस्टम बनाने के लिए पत्र लिखा गया।

उक्त कमियों के लिए फर्म के विरुद्ध करारनामा के अनुसार कार्यवाही की गयी तथा जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा सतर्कता विभाग द्वारा की गयी।

चरित्र पेड़ और छाया ख्याति की तरह हैं। हम छाया
को कितना महत्व दें, लेकिन वास्तविक चीज पेड़ ही है।
— अब्राहम लिंकन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह



Say

No

To

CORRUPTION

Every No Counts



सतर्कता संगठन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
पूर्वोत्तर रेलवे विजिलेन्स मोबाइल हेल्पलाइन नं०-139

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

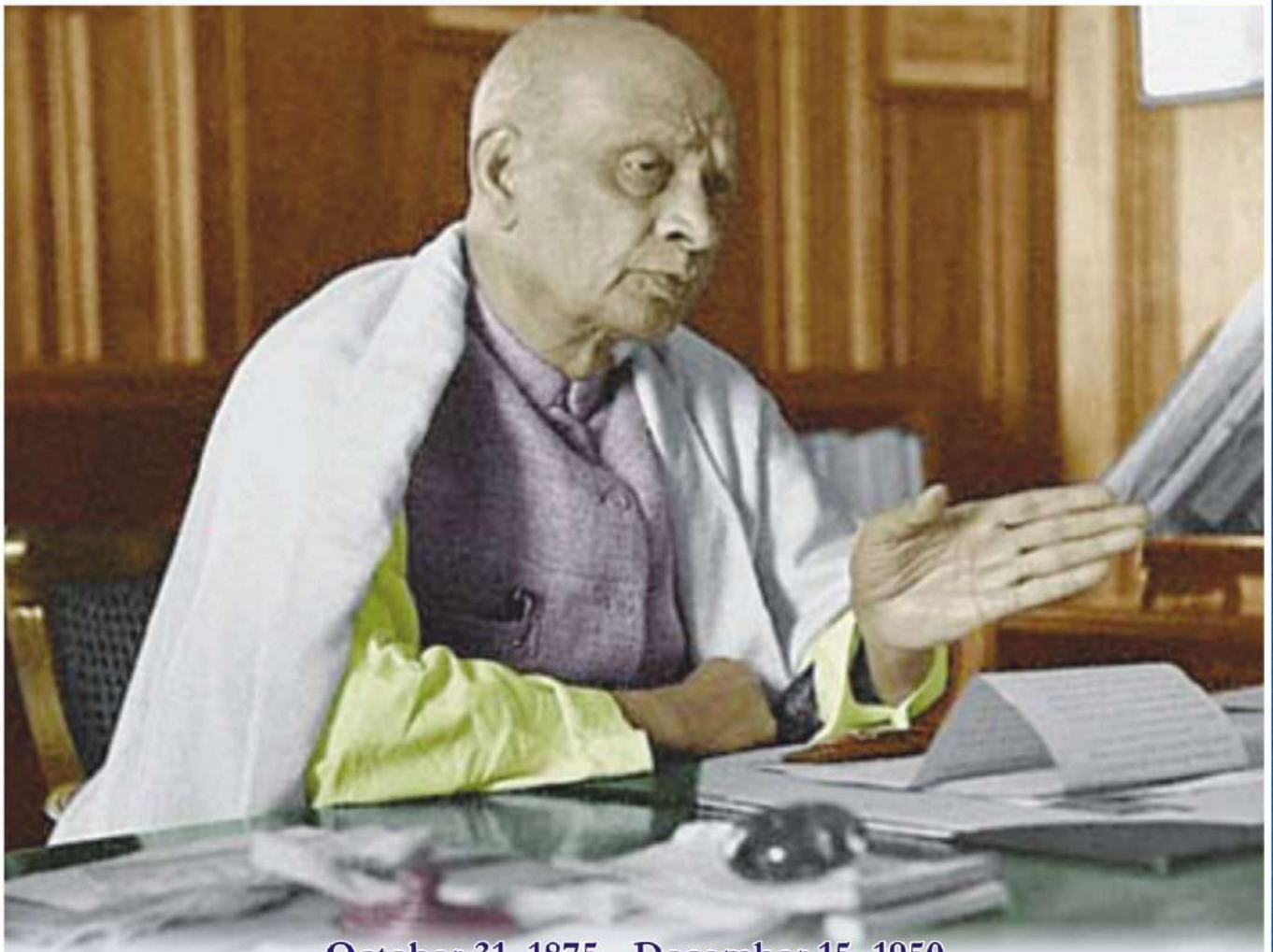


**Delay breeds
Corruption
&
Transparency
Eliminates
Corruption**

RESIST, REJECT and REPORT it.



सतर्कता संगठन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
पूर्वोत्तर रेलवे विजिलेन्स मोबाइल हेल्पलाइन नं०-139



October 31, 1875 - December 15, 1950

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म की सालगिरह के अवसर पर किया जाता है।

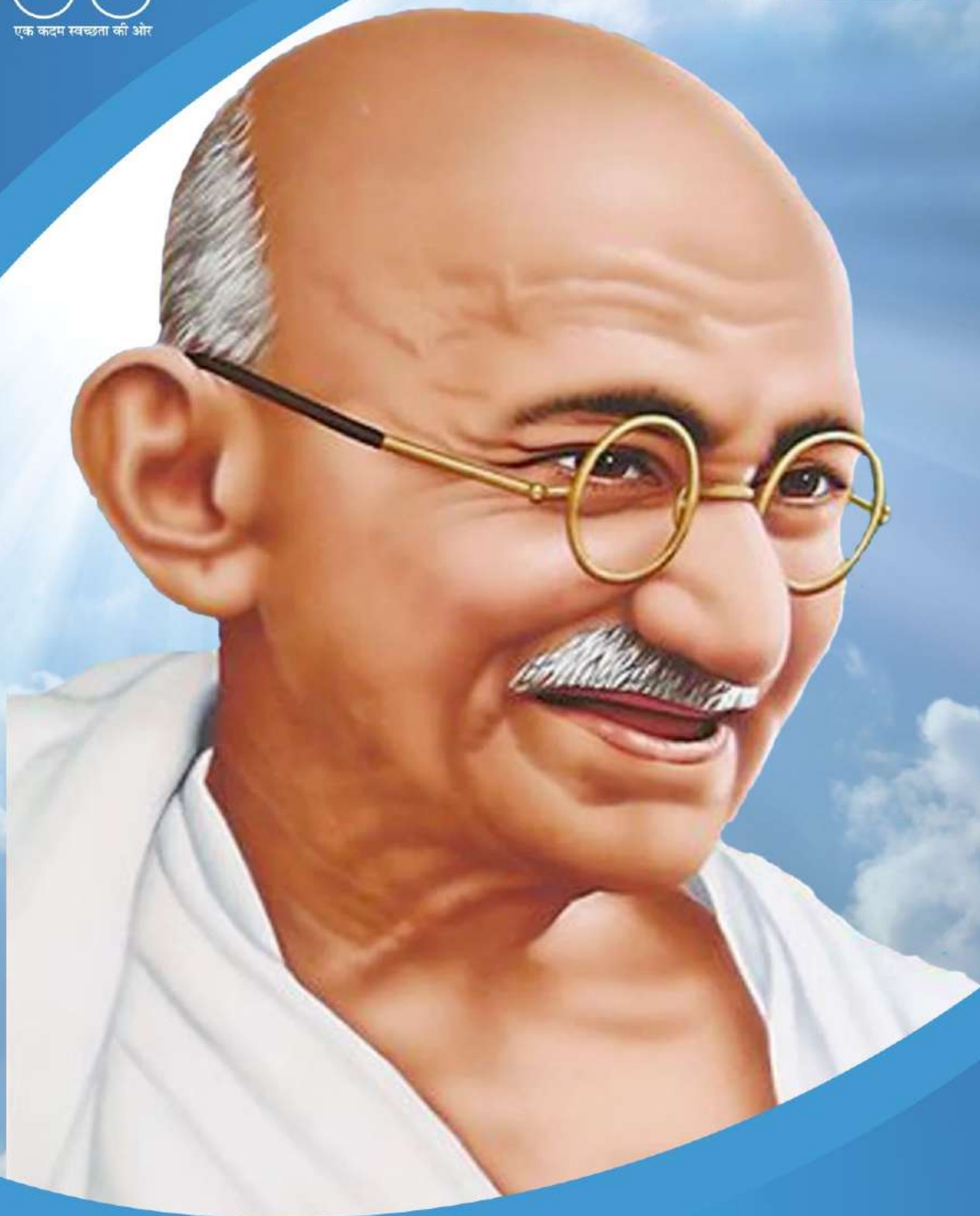
अस्वीकरण

यह बुकलेट मात्र संकेतिक है, अपने आप में सविस्तृत नहीं। यह, संबंधित विषय पर किसी भी प्रकार से किसी नियम, प्रक्रिया तथा वर्तमान अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रतिस्थापित नहीं करता है। इस बुकलेट में उल्लेखित प्रावधान किसी भी प्रकार से किसी भी रेलवे कोड एवं परिपत्रों का, जिनका इसमें हवाला दिया गया है, अतिक्रमण नहीं करता एवं मामलों को सही संदर्भ में समझने के लिए इन्हें अन्य संगत पॉलिसी/सर्कुलर के समायोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस बुकलेट को किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है एवं जहाँ कहीं आवश्यक हो तो संबंधित विषय से संबद्ध मूल आदेश को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

*I will not let anyone walk through my mind
with their dirty feet.*



**I FOUGHT FOR
FREEDOM**



**WILL YOU FIGHT FOR
"CORRUPTION FREE INDIA"**

October 2, 1869- January 30, 1948

सतर्कता संगठन, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रकाशित